वार्षिक लेखा

2021 - 2022

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

वार्षिक लेखा
2021 – 2022

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

विषय सूची

क्र. सं.	लेखों का नाम	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1.	एनआईआरडीपीआर लेखा	1	22
2.	हितकारी निधि लेखा	23	25
3.	भविष्य निधि लेखा	26	28
4.	एनआईआरडीपीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा	29	31
5.	लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	32	36
6.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद की लेखा पर भारत के सी एवं एजी की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	37	43
7.	सी एवं एजी की अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जवाब	44	55

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
प्रारंभिक बैंक शेष	89,84,38,096	**1,20,96,05,393**			
अनु.1 पूंजीगत लेखा			**अनु.1 पूंजी लेखा**		
पूंजीगत अनुदान	-	2,83,60,782	पूंजी अनुदान	16,88,16,451	27,54,96,642
अनु.2 आरक्षित और अधिशेष					
अनु.3 चिन्हित निधि			**अनु.3 चिन्हित निधि**		
भवन निधि	28,31,344	35,39,606	भवन निधि	3,27,66,158	-
संचित निधि लेखा	40,10,72,806	49,18,61,637	संचित निधि	3,64,169	2,40,075
विकास निधि	53,98,595	6,31,771	विकास निधि	-	-
एफसीआरए - दिल्ली	1,10,098	35,92,014	पूंजी अनुदान - योजना	1,33,81,101	-
पीएमआरडीएफ - दिल्ली	65,79,358	65,31,444			
एमओआरडी से प्राप्त अनुदान सहायता					
वेतन अनुदान	81,50,00,000	60,15,00,000			
सामान्य अनुदान	23,98,00,000	20,28,00,000			
अनु.7 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			**अनु.7 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान**		
परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	29,14,79,279	48,12,97,334	परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	45,31,52,105	77,19,24,702
परामर्शी परियोजनाएं - एनआईआरडी	-	1,05,272	परामर्शी परियोजनाएं - एनआईआरडी	-	-
परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	58,35,620	24,60,994	परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	1,07,95,207	-
परामर्श देयताएं	1,31,19,300	11,76,155	परामर्शी देयताएं	1,20,96,694	-
देयताएं और प्रावधान	13,69,02,760	20,49,57,801	देयताएं एवं प्रावधान	10,25,54,725	17,12,63,491
सहायता अनुदान खाते पर ब्याज	57,43,313	36,93,491			
पारगमन लेखा	9,80,22,520	8,97,07,835	पारगमन लेखा	10,60,53,591	10,03,85,301
अंतरण लेखा	1,45,85,78,989	50,32,91,632	अंतरण लेखा	1,14,94,35,231	48,92,37,072
देयताएं एवं प्रावधान - एनईआरसी	22,164	2,67,557	देयताएं एवं प्रावधान - एनईआरसी	60,001	2,20,04,496
देयताएं एवं प्रावधान - दिल्ली	1,79,85,409	17,31,36,484	देयताएं एवं प्रावधान - दिल्ली	1,78,34,817	1,69,98,380

जारी...

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
अनु.8 अचल आस्तियां			**अनु.8 अचल आस्तियां**		
कार्यालय उपकरण	-	-	पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	15,02,683	39,77,206
एवी उपकरण	-		आरटीपी आस्तियां	5,10,631	11,25,529
			योजना पूंजी - डब्ल्युआईपी- सोलार	44,65,053	59,15,000
पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती		-	पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	51,672	-
पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती - एनईआरसी		-	पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती - एनईआरसी	-	5,19,121
पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	-	17,827	पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	-	45,106
			फर्नीचर एवं फिक्सचर	4,82,049	20,15,040
			कार्यालय उपकरण	8,76,227	13,88,140
			सौर और नवीकरणीय ऊर्जा	19,800	-
			कम्प्यूटर	9,41,805	9,20,301
			ए वी उपकरण	1,06,571	5,850
			संयंत्र और मशीनरी	1,97,578	15,57,225
			जनकपुरी भवन - दिल्ली	-	11,98,420
			लोधी रोड भवन - दिल्ली	-	1,28,63,775
			अन्य अचल आस्तियां - दिल्ली	-	33,64,454
अनु.9 निवेश			**अनु.9 निवेश**		
सावधि जमाओं में निवेश परामर्शी	1,14,11,480	1,13,30,152	सावधि जमाओं में निवेश परामर्शी	-	1,14,11,480
सावधि जमाओं में निवेश सामान्य लेखा	1,12,90,86,490	1,99,45,07,737	सावधि जमाओं में निवेश सामान्य लेखा	9,72,958	2,21,47,06,352
निवेश - चिह्नित निधि से	1,27,92,54,219	1,46,89,14,443	निवेश - चिह्नित निधि से	1,38,22,29,655	1,84,19,07,019
अनु.11 वर्तमान आस्तियां	-		**अनु.11 वर्तमान आस्तियां**		
जमा (आस्तियां)	-	-	जमा (आस्तियां)		
ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	5,99,000	8,74,766	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	54,599	1,05,000
परामर्शी आस्तियां	4,01,396	17,96,193	परामर्शी आस्तियां	2,07,510	15,000
वर्तमान आस्तियां एवं अग्रिम	-	79,03,757	वर्तमान आस्तियां एवं अग्रिम	5,66,805	27,33,499
सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	38,15,617	4,11,35,730	सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	3,45,47,713	4,00,83,377
अंतरण लेखा	1,48,94,62,712	23,37,05,190	अंतरण लेखा	1,48,94,62,712	29,34,05,190
ऋण एवं अग्रिम - एनईआरसी	3,49,18,393	1,28,21,385	ऋण एवं अग्रिम - एनईआरसी	2,92,93,269	1,66,82,650
ऋण एवं अग्रिम - दिल्ली	6,32,709	19,27,829	ऋण एवं अग्रिम - दिल्ली	4,89,230	4,07,46,081

जारी...

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
प्रत्यक्ष व्यय			**प्रत्यक्ष व्यय**		
वेतन	12,14,220	18,19,227	वेतन	39,56,18,968	34,93,84,740
स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	2,54,934	1,59,816	स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	70,51,569	83,76,358
स्वास्थ्य क्लब	-	1,98,200	स्वास्थ्य क्लब	-	11,29,912
अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	-	90,694	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	-	38,51,323
भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	-	-	भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	-	97,97,258
एलटीसी	-	-	एलटीसी	-	30,23,305
पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	3,01,822	63,919	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	21,24,42,483	16,51,89,975
स्थापना व्यय			**स्थापना व्यय**		
यात्रा भत्ता	38,323	3,16,922	पूर्व अवधि व्यय	-	2,09,161
अन्य स्थापना व्यय	21,49,644	21,81,230	यात्रा भत्ता	46,56,051	18,51,640
रखरखाव व्यय	4,24,323	4,17,455	अन्य स्थापना व्यय	6,94,53,353	6,45,84,025
			रखरखाव व्यय	3,33,49,600	5,04,11,206
क्रियाकलाप			**क्रियाकलाप**		
प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	14,48,258	32,07,068	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	4,36,25,687	5,12,35,269
			मानदेय	90,000	2,38,178
अप्रत्यक्ष आय			**अप्रत्यक्ष आय**		
प्रायोजित परियोजना से उपयोगकर्ता प्रभार / प्राप्तियां	5,40,59,236	2,93,23,930	प्रायोजित परियोजना से उपयोगकर्ता प्रभार / प्राप्तियां	-	11,17,765
सीपीजीएस पाठ्यक्रमों से शुल्क	2,12,96,759	3,49,05,520	सीपीजीएस पाठ्यक्रमों से शुल्क	69,000	1,40,00,000
ब्याज आय	10,07,56,178	9,52,65,538	ब्याज आय	2,912	185
लाइसेन्स शुल्क	35,98,718	27,32,991	लाइसेन्स शुल्क	1,600	1,048
अन्य विविध आय	64,92,505	1,29,46,197	अन्य विविध आय	9	500
			अंत: बैंक शेष	**2,75,78,86,586**	**89,84,38,096**
कुल	**8,53,85,36,587**	**7,96,70,80,918**	**कुल**	**8,53,85,36,587**	**7,96,70,80,918**

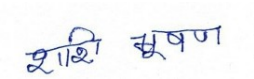

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

(जी. नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र

विवरण		अनु. संदर्भ	31-मार्च-22	31-मार्च-21
			रू.	रू.
I	**पूंजी एवं देयताएं**			
	संचित /पूंजी निधि	1	85,78,10,740	1,00,93,59,965
	आरक्षित एवं अधिशेष	2	99,57,75,187	-
	चिह्नित निधियां	3	7,47,48,72,680	9,70,09,29,038
	सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
	असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
	आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
	चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	2,68,75,06,806	36,27,28,100
कुल योग			**12,01,59,65,413**	**10,06,36,57,139**
II	**आस्तियां**			
	अचल आस्तियां	8	77,97,44,451	70,31,88,538
	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	4,75,30,44,339	5,80,81,58,486
	निवेश - अन्य	10	-	-
	वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	6,48,31,76,623	4,56,16,70,080
	विविध व्यय		-	-
कुल योग			**12,01,59,65,413**	**11,07,30,17,104**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणी	25

नोट: वार्षिक लेखे केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए वित्तीय विवरण के रूप में हैं

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनु.	31-मार्च-22	31-मार्च-21
		रू.	रू.
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी (ग्रामीण विकास मंत्रालय से)	13	1,13,59,50,820	3,26,02,15,848
शुल्क/सदस्यता (सीपीजीएस पाठ्यक्रम से)	14	2,13,88,828	2,09,05,520
निवेश से आय (निर्धारित निधि से)	15	-	-
रॉयल्टी/सदस्यता से आय	16	21,150	-
सामान्य प्राप्तियां	17 & 18	8,26,89,424	9,27,35,754
बढ़ाएँ / (कमी) स्टॉक में	19	(24,58,614)	-
उपयोगकर्ता शुल्क / प्रायोजित परियोजना प्राप्तियां	14ए	14,56,91,395	5,46,53,189
कुल योग (क)		**1,38,32,83,003**	**3,42,85,10,311**
व्यय			
स्थापना व्यय	20		
वेतन		39,62,83,958	37,21,71,691
पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ		19,96,90,107	18,07,66,595
चिकित्सा व्यय		79,33,143	56,10,120
बीमांकिक अंतर		35,27,41,961	36,94,44,066
अन्य स्थापना व्यय		5,69,22,220	6,44,52,168
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21		-
यात्रा व्यय		45,92,902	15,61,834
प्रशिक्षण एवं अनुसंधान		4,24,98,242	4,79,42,602
मानदेय		-	3,28,178
रखरखाव कार्य		4,12,15,508	4,20,43,964
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास	8	3,13,95,043	3,35,49,661
बढ़ाएँ / (कमी) स्टॉक में	19	-	30,32,762
		1,13,32,73,084	1,12,09,03,641
व्यय पर आय की अधिकता (क-ख)		**25,00,09,919**	**2,30,76,06,670**
कुल योग		**1,38,32,83,003**	**3,42,85,10,311**
जोड़ें : पूर्व अवधि की आय		66,090	5,21,989
घटाव: पूर्व अवधि व्यय		2,19,122	2,13,93,12,207
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) अनुसूची 3 संचित निधि में ले जाया गया		24,98,56,887	-
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) अनुसूची 1 संचित/ पूंजीगत निधि में ले जाया गया		-	**16,88,16,452**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	25		

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

जी कुमार

(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनु. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड	उपयोग	31-मार्च-22	31-मार्च-21
अनु.1	**संचित / पूंजी निधि**					
	पूंजी निधि - सामान्य	1,00,93,59,965	1,72,67,227	16,88,16,452	85,78,10,740	1,00,93,59,965
	वर्ष के अंत में शेष	1,00,93,59,965	1,72,67,227	16,88,16,452	85,78,10,740	1,00,93,59,965
अनु.2	**आरक्षित एवं अधिशेष**					
	पूंजी आरक्षित - (अनुदान सहायता)	-	-	-	-	-
	मूल्य-ह्रास आरक्षित/सिंकिंग फंड	37,07,13,028	10,38,95,738		47,46,08,766	-
	मूल्यह्रास आरक्षित/ सिंकिंग फंड (ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य	56,41,61,689		4,29,95,268	52,11,66,421	-
	पूंजी आरक्षित - (सहायता अनुदान)	-	-	-	-	-
	भारत सरकार से प्राप्त उपहार	-	-	-	-	-
	कुल	**93,48,74,717**	**10,38,95,738**	**4,29,95,268**	**99,57,75,187**	-
अनु.3	**चिह्नित निधियां**					
	हैदराबाद					
	i. पूंजीगत अनुदान - योजना		-		-	46,19,94,471
	ii. भवन निधि	19,11,85,688	70,37,139	3,27,66,158	16,54,56,669	19,11,85,688
	iii. विकास निधि	9,97,74,773	26,14,788	-	10,23,89,561	9,97,74,773
	iv. संचित निधि	3,16,40,86,372	60,70,72,054		3,77,11,58,426	3,16,40,86,372
	अन्य					
	iv. अनुदान वसूली की कमी (ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य)	44,12,66,569	-	-	44,12,66,569	44,12,66,569
	vi. निक्षेप / मूल्यह्रास निधि				-	37,07,13,028
	vii. निक्षेप निधि (ग्रा वि मं से प्राप्य)		-		-	56,41,61,689
	viii. परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान (अनु. एल3)					1,77,25,76,410
	कुल	**3,89,63,13,402**	**61,67,23,981**	**3,27,66,158**	**4,48,02,71,225**	**7,06,57,59,000**

जारी...

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनु. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड	उपयोग	31-मार्च-22	31-मार्च-21
	दिल्ली					
	i. एफसीआरए	35,92,014	1,10,098	-	37,02,112	35,92,014
	ii. पीएमआरडीएफ	65,11,084	65,79,358	-	1,30,90,442	65,11,084
	कुल	**1,01,03,098**	**66,89,456**	**-**	**1,67,92,554**	**1,01,03,098**
	बीमांकिक प्रावधान					
	i. पेंशन	2,18,52,03,532	38,25,96,468	-	2,56,78,00,000	2,18,52,03,532
	ii. उपहार	24,32,07,787	(1,73,29,702)	-	22,58,78,085	24,32,07,787
	iii. छुट्टी नकदीकरण	19,66,55,621	(1,25,24,805)		18,41,30,816	19,66,55,621
	कुल	**2,62,50,66,940**	**35,27,41,961**	**-**	**2,97,78,08,901**	**2,62,50,66,940**
कुल योग		**6,53,14,83,440**	**97,61,55,398**	**3,27,66,158**	**7,47,48,72,680**	**9,70,09,29,038**

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान				
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां				
अनु. सं	**विवरण**	**समूह संदर्भ**	**31-मार्च-22 रू.**	**31-मार्च-21 रू.**
अनु.4	सुरक्षित ऋण और उधार		-	-
अनु.5	असुरक्षित ऋण और उधार		-	-
अनु.6	आस्थगित ऋण देयताएं		-	-
अनु.7	चालू देयताएँ और प्रावधान			
	परियोजनाओं से विशिष्ट अनुदान	एल3	1,49,29,99,338	-
	परामर्शी परियोजना	एल4	3,29,73,345	3,45,44,047
	परामर्शी देयताएं	एल5	1,94,08,105	1,61,56,864
	देयताएं और प्रावधान	एल6	31,56,48,358	27,61,10,822
	पारगमन लेखा	एल7	82,91,278	1,22,42,241
	अंतरण लेखा	एल8	30,71,52,161	1,89,55,189
	अंतरण लेखा (परामर्शी)	एल8	10,25,446	10,25,446
	अनुदान का ब्याज और अव्ययित शेष	एल9	51,00,08,776	36,93,491
कुल			**2,68,75,06,806**	**36,27,28,100**
अनु.8	अचल संपत्ति और मूल्यह्रास (अनुबंध)	अनु.8	77,97,44,451	70,31,88,538
अनु.9	चिहिनत निधियों से निवेश			
	सावधि जामओं में निवेश - परामर्शी		-	1,14,11,480
	सावधि जामओं में निवेश - सामान्य	ए6	65,02,58,641	1,74,61,36,742
	संचित निवेश	ए6	3,93,53,89,201	3,79,08,48,431
	अन्य परियोजनाएं - निवेश	ए6	16,73,96,497	25,97,61,833
कुल		**ए6**	**4,75,30,44,339**	**5,80,81,58,486**
अनु.10	चिह्नत निधियों से निवेश		-	-
अनु.11	चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि			
	चालू आस्तियां और अग्रिम	ए4	3,69,70,82,253	3,63,70,95,890
	सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा	ए4	4,14,49,165	66,36,759
	ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	ए4	3,17,30,117	4,55,32,657
	जमा (परिसंपत्ति)	ए5	88,44,309	1,22,26,568
	पारगमन लेखा	ए7	11,04,595	9,550
	परामर्शी परिसंपत्ति	ए8	95,86,321	62,26,524
	अंत:शेष सामान्य लेखा	ए9	2,64,15,95,551	78,29,64,254
	अंत:शेष परामर्शी लेखा	ए10	3,25,33,489	3,57,24,324
	अंतरण लेखा	ए11	1,92,50,824	3,52,53,554
कुल			**6,48,31,76,623**	**4,56,16,70,080**

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूचियां 8: अचल आस्तियां (आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार लिखित डाउन वैल्यू पद्धति)

क्र.सं.	विवरण	मूल्यह्रास दर	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
			वर्ष की शुरुआत में लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन		बट्टे खाते में डाला हुआ मूल्य	वर्ष के दौरान जोड	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के लिए	घटाना	कुल	31-मार्च-22	31-मार्च-21
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
				> 180 days	<180 days									
1	भूमि	0%	10,76,74,169		-	-	-	10,76,74,169	-	-	-	-	10,76,74,169	10,76,74,169
2	भूमि विकास	0%	5,98,266	-	-	-	-	5,98,266	-	-	-	-	5,98,266	5,98,266
3	भवन - कार्यालय और जीएच	10%	25,29,12,784	9,80,539	1,35,315	-	11,15,854	25,40,28,638	22,52,44,455	28,71,653	-	22,81,16,108	2,59,12,530	2,76,68,329
4	भवन - आवासीय	5%	38,32,441	12,30,913	-	-	12,30,913	50,63,354	3,39,577	2,36,189	-	5,75,766	44,87,588	34,92,864
5	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	5,64,41,750	6,12,509	2,29,680	-	8,42,189	5,72,83,939	3,65,39,094	20,63,001	-	3,86,02,095	1,86,81,845	1,99,02,656
6	कार्यालय उपकरण	15%	5,86,45,462	5,20,173	3,56,054	-	8,76,227	5,95,21,689	5,50,39,487	6,45,626	-	5,56,85,113	38,36,576	36,05,975
7	कंप्यूटर	40%	11,16,86,862	8,94,555	5,21,003	-	14,15,558	11,31,02,420	10,86,94,106	16,59,125	-	11,03,53,231	27,49,189	29,92,756
8	वाहन	15%	20,50,950	-	1,85,000	-	1,85,000	22,35,950	5,69,139	2,36,147	-	8,05,286	14,30,664	14,81,811
9	दृश्य श्रव्य उपकरण	15%	6,45,84,692	1,06,571	-	-	1,06,571	6,46,91,263	4,88,32,668	23,78,789	-	512,11,457	1,34,79,806	1,57,52,024
10	सयंत्र एवं मशीनरी	15%	1,44,99,062	-	22,778	-	22,778	1,45,21,840	86,07,878	8,85,386	-	94,93,264	50,28,576	58,91,184
11	सौर और नवीकरण ऊर्जा	40%	2,48,000	19,800	-	-	19,800	2,67,800	1,28,960	55,536	-	1,84,496	83,304	1,19,040
12	स्वास्थ्य क्लब	15%	18,65,194	-	-	-	-	18,65,194	12,84,500	87,104	-	13,71,604	4,93,590	5,80,694
13	पुस्तकालय पुस्तकें	40%	2,84,85,865	5,08,167	1,814	-	5,09,981	2,89,95,846	2,80,44,988	3,79,980	-	2,84,24,968	5,70,878	4,40,877
14	सीपीजीएस आस्तियां	15%	23,14,805	-	-	-	-	23,14,805	23,08,583	933	-	23,09,516	-	6,222

जारी...

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूचियां 8: अचल आस्तियां (आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार लिखित डाउन वैल्यू पद्धति)

क्र.सं.	विवरण	मूल्यह्रास दर	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
			वर्ष की शुरुआत में लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन		बट्टे खाते में डाला हुआ मूल्य	वर्ष के दौरान जोड	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के लिए	घटाना	कुल	31-मार्च-22	31-मार्च-21
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
				> 180 days	<180 days									
15	आरटीपी आस्तियां		6,48,73,875	-	5,10,631	-	5,10,631	6,53,84,506	5,69,53,631	5,68,928	-	5,75,22,559	78,61,947	79,20,245
16	एनईआरसी आस्तियां		1,99,27,560	41,461	10,211	-	51,672	1,99,79,232	1,32,78,495	9,93,248	-	1,42,71,743	57,07,490	66,49,065
17	दिल्ली आस्तियां		16,03,38,080	-	-	-	-	16,03,38,080	14,49,10,916	18,30,371	-	14,67,41,287	1,35,96,793	1,54,27,164
18	भवन	10%	23,01,48,986	-	-	-	-	23,01,48,986	15,87,30,754	71,41,823	-	16,58,72,577	6,42,76,409	714,18,232
19	सयंत्र एवं मशीनरी	15%	1,74,49,073	-	-		-	1,74,49,073	1,65,55,909	1,33,975	-	1,66,89,884	7,59,189	8,93,164
20	योजना पूंजीगत कार्य प्रगति पर		8,73,79,644	-	1,03,80,053	-	1,03,80,053	9,77,59,697	3,41,20,842	92,27,231	-	4,33,48,073	5,44,11,624	5,32,58,802
	कुल		**1,28,59,57,519**	**49,14,688**	**1,23,52,539**	**-**	**1,72,67,227**	**1,30,32,24,746**	**94,01,83,982**	**3,13,95,043**	**-**	**97,15,79,026**	**33,16,40,432**	**34,57,73,538**
21	योजना पूंजी कार्य प्रगति पर		59,15,000	-	44,65,053	1,03,80,053	44,65,053	-	-	-	-	-	-	59,15,000
कुल योग			**1,29,18,72,519**	**49,14,688**	**1,68,17,592**	**1,03,80,053**	**2,17,32,280**	**1,30,32,24,746**	**94,01,83,982**	**3,13,95,043**	**-**	**97,15,79,026**	**33,16,40,432**	**35,16,,88,538**
24	निक्षेप निधि मूल्यह्रास	0%	35,15,00,000	9,66,04,019	-	-	9,66,04,019	44,81,04,019	-	-	-	-	44,81,04,019	35,15,,00,000
			1,64,33,72,519	10,15,18,707	1,68,17,592	1,03,80,053	11,83,36,299	1,75,13,28,765	94,01,83,982	3,13,95,043	-	97,15,79,026	77,97,44,451	70,31,,88,538

नोट : भूमि पर विवरण के लिए कृपया लेखों पर टिप्पणी देखे

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के

भाग के रूप में अनुसूचियां

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-22	31-मार्च-21
		रू.	रू.
अनु.12	बिक्री/सेवाओं से आय	-	-
अनु. 13	अनुदान-सहायता (एमओआरडी से)		
	वेतन - प्राप्त	81,50,00,000	56,64,67,321
	वेतन - बीमांकिक मूल्यांकन के खाते पर प्राप्य	14,16,49,169	2,50,00,70,246
	सामान्य - प्राप्त	17,93,01,651	19,36,78,281
	कुल	**1,13,59,50,820**	**3,26 02,15,848**
अनु. 14ए	प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्तियां		
	संस्थागत/ सम्मेलन कक्ष प्रभार/ संकाय लागत/ अन्य	14,56,91,395	5,46,53,189
		14,56,91,395	5,46,53,189
अनु. 14	शुल्क/सदस्यता (सीपीजीएस पाठ्यक्रम से)		
	पीजीडीआरडीएम से शुल्क	2,02,12,855	1,66,69,220
	डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	10,14,903	42,36,300
	पत्रिकाओं की अंशदान	1,61,070	-
	कुल	**2,13,88,828**	**2,09,05,520**
अनु. 15	निवेश से आय (चिहिन्त/ अक्षय निधि से)	-	-
अनु. 16	रॉयल्टी/सदस्यता से आय		
	एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	21,150	-
Sch. 17 & 18	General Receipts		
अनु. 17 & 18	14.01 सामान्य प्राप्तियां		
	14.01.01 ब्याज आय		
	ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	2,52,522	3,28,417
	एपीएसईबी के साथ जमा पर ब्याज	1,27,219	1,68,004
	लघु और दीर्घावधि जमा पर ब्याज	67,07,972	6,22,61,509
	एसबी खाते पर ब्याज	3,04,26,683	1,13,15,671
		375,14,396	**740,73,601**
	14.01.02 अन्य आय		
	पत्र पत्रिकाओं का अंशदान	-	1,31,490
	एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	-	13,930
	स्टाफ बस शुल्क - (भरत नगर)	2,97,189	1,48,262
	स्टाफ बस शुल्क - (सिकंदराबाद)	5,56,188	2,48,263
	निविदा प्रपत्रों की बिक्री	7,024	18,116
	कचरा संग्रहण शुल्क	72,393	52,972
	आरटीपी प्राप्तियां	10,59,043	5,39,525
	संपूरित कार्यक्रमों की बचत	1,92,53,221	14,49,037
	आयकर वापस	16,65,290	88,51,252
	प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त शुल्क	-	3,47,800
	स्क्रैप की बिक्री	2,94,279	-
	एनआईआरडीपीआर वाहनों का किराया	2,043	-
	7 सीपीसी बकाया - 30% आईजीआर से मिला	(49,38,582)	
		1,82,68,088	**1,18,00,647**
	कुल 14.01	**5,57,82,484**	**8,58,74,248**

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-22	31-मार्च-21
		रू.	रू.
	14.02 अनुज्ञप्ति शुल्क		
	नियमित कर्मचारी अनुज्ञप्ति शुल्क	3,03,957	2,88,467
	परियोजना कर्मचारी और सीपीजीएस छात्र अनुज्ञप्ति शुल्क	21,36,184	22,19,389
	जनकपुरी भवन पर अनुज्ञप्ति शुल्क - नई दिल्ली	1,43,71,500	-
	अन्य अनुज्ञप्ति शुल्क	6,10,282	1,96,216
		1,74,21,923	**27,04,072**
	14.03 विविध प्राप्तियां		
	आरटीआई प्राप्तियां	7,944	321
	विविध प्राप्तियां	5,45,395	1,01,452
	दावा न किए गए चेकों के कारण प्राप्तियां> 3 वर्ष	68,98,603	
	अन्य संस्थानों से धनवापसी	57,318	-
		75,09,260	**1,01,773**
	14.04 एनआईआरडी - गुवाहाटी प्राप्तियां		
	ऋण और अग्रिम पर किस्त- एनईआरसी	11,813	58,625
	सावधि जमा पर ब्याज- एनईआरसी	-	7,83,573
	स्थल कार्यक्रमों से प्राप्तियां - एनईआरसी	1,18,383	2,10,347
	लाइसेंस शुल्क- एनईआरसी	5,37,236	3,95,444
	विविध प्राप्तियां एनईआरसी	2,92,295	3,75,048
		9,59,727	**18,23,037**
	14.05 एनआईआरडी - दिल्ली प्राप्तियां		
	स्टाफ ऋण पर ब्याज	12,000	14,993
	बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	17,86,294
	अन्य संस्थानों से ग्रेच्युटी योगदान	2,90,276	20,704
	एल.एस. अन्य संस्थानों से योगदान	6,80,639	3,97,660
	विविध प्राप्तियाँ दिल्ली	33,115	12,973
		10,16,030	**22,32,624**
अनु. 17 & 18	**14. सामान्य प्राप्तियां**	**8,26,89,424**	**9,27,35,754**
अनु. 19	**स्टॉक में वृद्धि / (घटाव)**		
	अंत: स्टॉक	24,22,967	48,81,581
	आरंभिक स्टॉक	48,81,581	79,14,343
	निवल वृद्धि / (घटाव)	**-24,58,614**	**-30,32,762**
अनु. 20	**स्थापना व्यय**		
	01 संस्थान का वेतन		
	01.01. हैदराबाद	27,14,34,684	2646,00,754
	01.01.04 पीएफ के लिए प्रबंधन अंशदान	1,33,70,224	87,58,418
	01.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	4,36,89,893	4,30,83,666
	01.03. दिल्ली	6,77,89,157	5,57,28,853
	कुल	**39,62,83,958**	**37,21,71,691**
	02 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		
	02.01. हैदराबाद	16,80,55,710	16,30,11,855
	02.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	1,66,97,719	1,17,91,610
	02.03. दिल्ली	1,49,36,678	59,63,130
	कुल	**19,96,90,107**	**18,07,66,595**
	03 चिकित्सा		
	03.01. हैदराबाद	53,63,765	56,10,120
	03.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	16,55,591	-
	03.03. दिल्ली	9,13,787	-
	कुल	**79,33,143**	**56,10,120**

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-22	31-मार्च-21
		रू.	रू.
	04 बीमांकक अंतर		
	ग्रेच्युटी	(1,73,29,702)	(1,00,01,104)
	छुट्टी नकदीकरण	(1,25,24,805)	1,39,95,902
	पेंशन	38,25,96,468	36,54,49,268
	कुल	**35,27,41,961**	**36,94,44,066**
	07. अन्य स्थापना व्यय		
	07.01. हैदराबाद	4,18,12,460	4,02,58,371
	07.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	45,22,230	55,47,755
	07.03. दिल्ली	1,05,87,530	1,86,46,042
	कुल	**5,69,22,220**	**6,44,52,168**
अनु.21	**अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।**		
	04 यात्रा व्यय		
	04.01. हैदराबाद	35,78,075	11,79,645
	04.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	6,20,019	3,82,189
	04.03. दिल्ली	3,94,808	-
	कुल	**45,92,902**	**15,61,834**
	05 प्रशिक्षण एवं अनुसंधान		
	05.01. से 05.09 तक हैदराबाद	3,05,39,866	4,19,68,522
	05.10. एनईआरसी - गुवाहाटी	8,59,776	17,27,102
	05.11. दिल्ली	1,10,98,600	42,46,978
	कुल	**4,24,98,242**	**4,79,42,602**
	06. मानदेय		
	06.01 लेखा एवं प्रशासन (हैदराबाद)	-	3,28,178
	कुल	**-**	**3,28,178**
	08. अनुरक्षण व्यय		
	08.01. हैदराबाद	2,46,98,323	3,24,32,548
	08.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	87,57,667	96,11,416
	08.03. दिल्ली	77,59,518	-
	कुल	**4,12,15,508**	**4,20,43,964**
अनु. 22	**अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय**	**-**	**-**
अनु. 23	**ब्याज**	**-**	**-**
अनु.8	**मूल्यह्रास**		
	पूंजीगत संपत्ति पर मूल्यह्रास	3,13,95,043	3,35,49,661
	कुल	**3,13,95,043**	**3,35,49,661**
	निवल आईजीआर	**24,98,56,887**	**16,88,16,452**

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2022 (रू.)	31 मार्च, 2021 (रू.)
अनुसूची	(एल 3) परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान		
	सीगार्ड परियोजनाएं		
1	सी1721 स्थानीय प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन एवं परिवर्तन का पता लगाना	1,45,899	1,45,899
2	एस1612 मडागास्कर में सी-गार्ड केंद्र की स्थापना	24,15,429	26,48,295
3	एस1701 पीएमजीएसवाई पर एसटीपी - एनआरआरडीए	-	30,66,642
4	एस1720 गुणवत्ता पर सीसी सड़कों का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	65,25,731	63,54,169
5	एस1721तेहरी गढ़वाल के लिए एपीआईबी परियोजना उत्तराखंड	98,16,521	1,10,50,024
6	एस1722 आन्ध्र प्रदेश में स्पेक्ट्रल लाईब्रेरी जनरल और तुलना (एसएसी इसरो)	-	2,70,305
7	एस1805 ग्रामीण सड़क परियोजना पीएमजीएसवाई में भू-संसूचना	(81,68,346)	58,50,956
8	एस1912 परामर्शी ग्रामीण सडक एसएफए और पीएमजीएसवाई ।।	42,94,787	45,68,755
9	एस2191 ढाका में सिर्डाप आईसीटी केन्द्र की स्थापना	49,06,867	47,77,865
10	एस2560 बिज्जू केवीके परियोजना, ओडिशा सरकार	-	(11,57,743)
11	एस2567 पीएमकेएसवाई पर 2 दिवसीय कार्यशाला (सी-गार्ड)	2,07,660	2,07,660
12	एस2581 मनरेगा में भू-कार्यान्वयन	2,16,19,949	4,24,70,140
13	एस2583 इसरो द्वारा ईपीआरआईएस परियोजना	8,41,820	8,19,689
	डीडीयू जीकेवाई परियोजनाएं		
14	सावधि जमाओं पर ब्याज	1,33,98,345	96,12,281
15	एस0221 रुडसेटी के तहत आरएसईटीआई के लिए ईआरपी का विकास	18,03,519	9,92,970
16	एस2099 एसजीएसवाई बीपीएल युवा होशंगाबाद -एमपी- एआईएसईसीटी	50	50
17	एस2233 एनआरओ - डीडीयूजीकेवाई	(61,43,885)	47,46,771
18	एस2363 मुख्य शिक्षा एवं टेकनोलॉजी लिमिटेड (एसजीएसवाई)	15,45,515	4,00,000
19	एस2441 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (झारखंड)	6,983	6,983
20	एस2382-इंडिया कैन एडू प्राइवेट लिमिटेड (एसजीएसवाई/एएसडीपी)	23,19,251	-
21	एस2336 ईगल हंटर सोल्यूशंस	47,021	-
22	एस2521- एनआईआईटी युवाज्योति लिमिटेड-असम	(3,123)	-
	सामान्य		
23	पी0033 पी-कार्य अनुसंधान परियोजना	1,19,509	1,02,886
24	एस2527 सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	1,20,30,399	2,33,68,668
25	सी0120 पीएसआईजी कार्यक्रम एसआईडीबीआई -एमएसई द्वारा पहुंच में आसानी	3,543	1,56,735
26	सी0220 यूबीए गांवों के लिए प्रस्ताव लेखन- आईआईटी दिल्ली	10,143	5,17,305
27	सी 0320 एई प्रमाणन कार्यक्रम - सिनजेंटा फाउंडेशन	5,34,547	5,20,493
28	सी0420 एसटीपी कौशल आजीविका और वित्तीय समावेशन-सीआईसीटीएबी	46,813	51,062
29	सी0520 कृषि एफपीओ में समावेशी विकास - सीआईसीटीएबी	3,97,480	6,45,200
30	सी0620 आंध्र प्रदेश में नाबार्ड के किसान उत्पादक संगठनों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	4,48,196	4,35,313
31	एस1705 आरटीपी परियोजनाएं	(1,11,94,694)	(1,69,96,081)
32	एस2239- सिर्डाप प्रशिक्षण कार्यक्रम 2013-14	(66,73,178)	(66,73,178)
33	सी1805 यूबीएए नियोजन संस्थानों द्वारा अपनाए गए वीसी	1,54,954	2,27,594
34	सी1807 राष्ट्रीय पोषण - सीएचआरडी	16,58,960	16,15,346
35	सी1812 जीएमआरवी फाउंडेशन की सीएसआर पहल का थर्ड पार्टी मूल्यांकन	1,19,581	-
36	सी1816 सीएसआर - सैनिटरी नैपकिन टीएस पर जागरूकता (बीडीएल)	20,96,750	34,86,466
37	सी1817-एसएचजी बीसी पाथवे परियोजना	2,67,305	14,22,019
38	सी1901 नाबार्ड श्री निधि अध्ययन	-	(88,941)
39	सी1902 आ.प्रदेश में एफपीओ/पीओपीआई के लिए आरएसए - नाबार्ड	36,43,175	(1,37,212)
40	सी1801 एनएमडीसी सीएसआर कार्यक्रम	(19,16,455)	(19,16,455)
41	सी1906 जीपीडीपी ग्वालियर द्वारा बाल अनुकूल जीपी पर राष्ट्रीय सम्मेलन	1,12,747	1,09,783
42	सी1907 कुपोषण को कम करना, खाद्य सुरक्षा- सीएएस	8,53,905	8,31,456
43	सी1909 सतत विकास के लिए एआर - जीपीडीपी- 10 क्लस्टर- एपी	49,11,370	47,82,248

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2022 (रू.)	31 मार्च, 2021 (रू.)
44	सी1910 श्रमिक उत्पादकता -सीडब्ल्यूई - यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग	16,76,222	16,32,154
45	एस0320 पंचायत उद्यम स्यूट (पीईएस) अनुप्रयोग	9,50,607	9,25,615
46	एस1820 सतत विकास में जल स्त्रोत प्रबंधन	(19,08,700)	(18,58,520)
47	एस2541 रूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)	(8,37,335)	102,96,426
48	एस0720 एवी लैब और एवी स्टूडियो	9,21,887	8,97,651
49	एस0820 - सीपीजीएस - लचीला जलवायु परिवर्तन में नवाचार	1,13,098	1,10,124
50	एस0321 मीडिया और प्रचार का मूल्यांकन और 'कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन'	(6,57,185)	3,03,600
51	एस1020 एनअईआरडीपीआर में सिर्डाप केन्द्र की स्थापना	10,27,000	10,00,000
52	एस1120 प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम	48,019	(1,502)
53	एस1602 भारत पंचायत आईपीकेपी का संचालन	97,03,676	94,48,564
54	एस1606 झारखंड में निर्वाचित महिला पीआरआई का सीबी प्रशिक्षण	40,83,469	39,76,114
55	एस1608 ई-सक्षम द्वारा पीआरआई के माध्यम से भारत का रूपांतरण	87,26,483	168,25,421
56	एस0420 जीपीडीपी पंचायत सेवा वितरण पर प्रभाव	(6,15,558)	5,67,724
57	एस1708 आईपीआरपी और लेखापरीक्षकों को एसटीपी (एनआरएलएम)	9,23,524	8,99,244
58	एस1709 एनआरएलएम - सीजीएसआरएलएम	11,52,566	11,22,265
59	एस 1907 लेह के नव निर्वाचित सरपंचों के लिए परिचय और सीबी	(2,16,815)	(2,11,013)
60	एस1714 पीआर सांख्यिकी पर एचबी का प्रकाशन	15,76,346	15,34,903
61	एस1715 महिला बाल कल्याण विभाग के निदेशक विभाग	2,01,821	1,96,516
62	एस1801 12 राज्यों में एससीए से लेकर एससीएसपी तक अध्ययन (सीपीएमई)	-	3,84,804
63	एस1802 आईईसी प्रभाग के लिए सलाहकारों की नियुक्ति	2,00,246	4,57,728
64	एस1803-राष्ट्रीय भू-स्थानिक व्यवसायिक योजना वित्तीय सहायता	(44,502)	11,45,779
65	एस1806 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 आ.प्र. कर्नाटक	1,60,446	1,56,228
66	एस1807 आ.प्र. में मनरेगा अनुसंधान अध्ययन	6,63,706	6,46,257
67	एस1809 झारखंड जेएसएलपीएस के लिए प्रेरण और इमर्शन	27,03,929	26,32,842
68	एस1810 आरडी 01-21 अगस्त 18 पर आंतरिक लेखापरीक्षा पर सीपी	11,72,340	68,57,287
69	एस1814 पीआर कार्यकर्ताओं के लिए समय और कार्य अध्ययन	-	2,24,872
70	एस1825 परामर्श-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, वैशाली - कपार्ट	12,61,195	22,37,653
71	एस1815 राजस्थान एपी - मनरेगा के लिए प्रशिक्षण सह अध्ययन दौरा	12,97,372	12,63,264
72	एस1816 जैव विविधता शासन पर तीसरा टीओटी	-	19,07,108
73	सी1711 नीतिगत संचार आ.प्र, तेलंगाना, कर्नाटक यूनिसेफ	(1,51,854)	1,87,032
74	एस0721 आर एस और जीआईएस आवेदन पर कार्यशाला	(1,40,736)	
75	एस1821 त्रिपुरा के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रदर्शनी दौरा	9,87,037	9,61,088
76	एस1822 जीपीडीपी की तैयारी में पीआर का सीबी एवं हैंडहोल्डिंग -सीपीआर	5,80,060	12,15,262
77	एस1823 जलागम परियोजना का मूल्यांकन 150एमडब्ल्यूएस -आरएलटीएपी-केबीके जिला	-	5,11,938
78	एस1824 जलागम परियोजना का मूल्यांकन एसीए 314 एमडब्ल्यूएस - आरएलटीएपी-केबीके	-	8,51,341
79	एस1826 अनुप्रयोग आधारभूत संरचना का विकास जीईओ-मनरेगा स्थानिक का पी एवं एम	(1,31,633)	29,54,718
80	एस1828 ओडीएफ सततता -स्वच्छ भारत मिशन	9,35,406	9,10,814
81	एस1830 पीवीटीजी कर्मचारी 6 दिवसीय प्रदर्शनी प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,15,113	1,12,087
82	एस1831 एसएलएसीसी में सीबी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	-	73,77,529
83	एस1832 नशीली दवाओं के दुरुपयोग और रोकथाम पर कार्यशाला	18,192	20,17,967
84	एस1833 उत्तराखंड के ईआर का प्रशिक्षण परिरचयात्मक दौरा	50,97,441	49,63,428
85	एस1835 प्रत्यक्ष प्रशिक्षकों के कौशल पर टीओटी और एसटीएआरपीएआरडी का डिजाईनिंग, पश्चिम बंगाल	-	10,54,306
86	एस 1901 परिरचयात्मक दौरा - केरल के पीआरआई - डीएलजी- केआईएलए	2,08,044	2,02,575
87	एस 1902 ग्रामीण आजीविका प्रभाग के लिए एसएलएसीसी-एलटीएसए - एमओआरडी	-	38,55,527
88	एस 1904 यूपीएसैक के कार्यक्रम पर प्रभाव अध्ययन - सीएफआईई	4,93,499	4,87,716
89	एस 1906 एकपीआरआईजीपी प्रलेखन - एपीआरआई - डब्लूडी और सीडब्ल्यू - सीएचआरडी	81,297	79,160
90	एस0920 एमपी और मॉड्यूल में पेसा का कार्यान्वयन	(62,225)	(55,340)
91	एस 1908 कर्नाटक के मैसूर जिला पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जीपीडीपी संवेदी कार्यक्रम	4,10,791	3,99,991
92	एस 1909 आरजीएसए के तहत एमओपीआर में एनपीएमयू की स्थापना	15,68,986	11,17,282
93	एस 1911 नव निर्वाचित पीएसआरएलएम-एनआरएलएम कर्मचारियों का परिचयात्मक दौरा	8,37,548	8,15,529

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2022 (रू.)	31 मार्च, 2021 (रू.)
94	एस 1913 झारखंड के 133 जीपी में एआर सतत विकास जीपीडीपी	40,34,757	39,28,682
95	एस 1914 ठोस एवं तरल अपशिष्ट का ओडीएफ सतत प्रबंधन - एमपी	5,62,531	5,57,287
96	एस 1915 महाराष्ट्र एवं तेलंगाना में एनएसए का प्रभाव प्रदर्शन	6,24,776	87,211
97	एस 1916 यूबीए- एमएचआरडी- सीपीएमई पर मूल्यांकन	38,53,709	40,02,760
98	एस1917 एसटीपी से एसपीएम डीपीएम बीपीएम सीजीएसआरएलएम-एनआरएलएम के वाईपी	25,01,708	24,35,937
99	एस 1921 उत्तराखंड के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह परिचय	3,52,701	3,43,429
100	एस 1922 एसटीपी पीआरआई - त्रिशूर - केआईएलए - फरवरी 2020	3,24,251	3,15,726
101	एस 1923 लद्दाख के बीडीसी अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह परिचयात्मक दौरा	3,16,719	3,08,392
102	सी1905 एनआईआरडीपीआर में सीआरसी - सीजीएस की स्थापना	(51,804)	9,08,485
103	एस2428-केरल इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए)	3,81,71,019	3,71,67,497
104	एस2516 220 आईएवाई के प्रशिक्षण एवं प्रबंध के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,13,97,070	1,10,97,436
105	एस2523 लक्ष्य	4,23,630	4,12,493
106	एस0521 भारत@75 आजादी का अमृत महोत्सव	(50,327)	-
107	निष्क्रिय निर्धारित निधि	17,32,60,884	16,87,05,827
108	पी0006 (ए) - अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम -2013-14	3,40,62,871	3,39,62,871
109	पी0006 पी - प्रायोजित अनुसंधान परियोजना - एनईआरसी	6,70,230	(6,43,851)
110	पी0006 पी - प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान)	6,24,05,136	6,24,05,136
111	पी0006 पी - प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान) - एनईआरसी	96,30,128	85,39,156
112	एस0117 एस-यूएनडीपी उचंत	(9,17,637)	(9,17,637)
113	एस0126 यूएनडीपी-13	36,41,064	36,41,064
114	एस1711 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सीबी एण्ड टी	(49,646)	9,35,579
115	सी0321 ग्राम परिप्रेक्ष्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया को एकीकृत करना	32,24,846	-
116	एस1819 5 राज्यों में एनएसएपी के तहत योजनाओं के लिए अग्रगामी सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन	(46,981)	13,36,631
117	एस0621 एनएसएपी की योजनाओं के लिए प्रायोगिक आधार पर लेखापरीक्षा	5,55,885	-
118	एस1220 जम्मू और कश्मीर के डीडीसी सदस्यों के लिए एसटीपी मार्च 2021 सीपीआर	(29,890)	-
119	एस0821 कीट प्रबंधन पाठ्यक्रम	7,47,457	-
120	एस0921 (जेजेएम) के क्षमता निर्माण के लिए प्रमुख संसाधन केंद्र (केआरसी)	8,70,000	-
121	एस1021 जीआईएस और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी	5,03,315	-
122	एस1121 स्थिति, प्रक्रिया, (जीपीडीपी) की तैयारी में समस्याएं	9,23,472	-
123	एस1221 सिंचाई प्रणाली में जीआईएस अनुप्रयोग	2,37,568	-
124	एस1321 आरडी के श्रेष्ठ पद्धतियों का परिचयात्मक दौरा	7,31,246	-
125	एस1421 ।-एमईएसए योजना की उप-घटक सामाजिक लेखापरीक्षा	1,35,27,200	-
126	एस0421 पंचायत लद्दाख की एसटीपी बढ़ाने की क्षमता	57,83,980	-
127	सी0121 पोषण, बाल संरक्षण, वॉश और स्वास्थ्य कार्य योजनाएँ	(12,001)	-
128	एस1220 जम्मू में जम्मू- कश्मीर, संघ शासित प्रदेश के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	(7,615)	-
129	सी0221 14 वेबसाइटों में तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा करने के लिए	(930)	-
130	सरस - आईआईटीएफ 2021 - नई दिल्ली	18,57,862	
	परियोजना बैंक खाता		
131	सीआरसीडीबी एवं एमआई	11,51,86,674	10,62,03,530
132	डीडीयू - जीकेवाई	4,39,10,688	12,32,24,294
133	एमजीएनआरईजीए	60,72,93,139	71,01,33,090
134	एमकेएसपी	95,28,115	92,75,113
135	एनआरएलएम आरसी	57,29,190	3,37,82,692
136	पीएफएमएस3617	7,17,49,379	7,88,46,591
137	पीएफएमएस3825	10,057	10,057
138	पीएफएमएस796	10,615	10,333
139	पीएफएमएस9179	10,615	10,333
140	आरसेटी- एनआईआरडीपीआर	69,16,170	3,36,36,745
141	एसआरएससी- एनआईआरडीपीआर	11,02,27,826	10,23,35,808
142	यू एन उमन	28,765	28,765
143	प्राप्य के रुप में प्रदर्शित शेष (ए4 को अंतरित)	4,00,33,056	3,06,57,473
	कुल	**1,49,29,99,338**	**1,77,25,76,410**

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2022 (रू.)	31 मार्च, 2021 (रू.)
	(एल4) परामर्शी परियोजनाएं		
	एनआईआरडीपीआर - क्षे. का		
1	एटीएमए - सिक्किम - क्षे. का	1,52,427	1,52,427
2	असम में पीएमएजीवाई बेसलाईन सर्वेक्षण	(1,62,196)	(1,62,196)
3	क्षमता निर्माण एचएच ओपी IX क्षेत्र एनईआई आरजीएसए - क्षे.का	14,11,788	14,55,945
4	क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण एन ई सी - एन आर एल एम - क्षे.का	18,93,387	18,93,387
5	क्षमता निर्माण आरजीएसए एसआईआरडी - असम -क्षे.का	(6,26,696)	(6,26,696)
6	सी-गार्ड आधारभूत संरचना विकास (एनईसी) - क्षे.का	25,46,863	26,31,546
7	असम द्वारा चीन मलेशिया का परिचयात्मक दौरा - क्षे.का	(16,65,211)	(16,65,211)
8	परामर्शी जागरूकता क्षमता निर्माण ईआरएससीए त्रिपुरा -क्षे.का	(1,51,056)	(1,51,056)
9	परामर्शी - घाटी विकास प्रशिक्षण - मेघालय	18,23,710	18,23,710
10	परामर्शी - एनआरएलएम क्षे.का. एनईआरसी बैंक लेनदेन क्षे.का	(21,16,801)	48,00,804
11	परामर्शी - बीएलएस-पीएमएजीवाई-असम- क्षे.का	16,81,567	16,81,567
12	परामर्शी - ईपीआरआईएस परियोजना - इसरो -क्षे.का	(15,806)	(15,806)
13	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी बी-II एवं III का विकास नागालैंड - क्षे.का	5,31,504	5,31,504
14	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी पीएमकेएसवाई का विकास नागालैंड - क्षे.का	(1,68,249)	(1,68,249)
15	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी का विकास - त्रिपुरा बी-I - क्षे.का	92,203	92,203
16	परामर्शी - पीईआर के असम - अंडमान एवं निकोबार द्वीप के लिए परिचयात्मक दौरा- क्षे.का	81,786	81,786
17	परामर्शी - दक्षिण कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा - क्षे.का	6,70,597	6,70,597
18	परामर्शी- खाद्य प्रसंस्करण -एमएसआरएलएस - मेघालय -क्षे.का	40,953	40,953
19	परामर्शी - जीआईएस संसाधन मानचित्रण - क्षे.का	5,10,475	5,10,475
20	परामर्शी - एचईएससीओ परियोजना - क्षे.का	6,666	6,666
21	परामर्शी - प्रभाव आकलन कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर परियोजना	4,20,266	-
22	परामर्शी - एनआईआरएएमओवाई परियोजना - क्षे.का	5,88,851	5,88,851
23	परामर्शी - एनआरएलएम क्षे.का. एनईआरसी परियोजना	37,70,483	37,70,483
24	परामर्शी - 10% पारिश्रमिक सभी परियोजनाएं - क्षे.का	(6,88,680)	(6,88,680)
25	परामर्शी - आर आर सी - एमजीएनआरईजीएस असम - क्षे.का	59,117	59,117
26	परामर्शी - मेघालय के लिए ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे - क्षे.का	(12,72,082)	18,20,048
27	परामर्शी - अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए एसएपी और डीएपी	31,27,584	-
28	परामर्शी - असम करघा के अंतर्गत एसएचजी - क्षे.का	1,00,000	-
29	परामर्शी - असम करघा के अंतर्गत एसएचजी - क्षे.का	(25,348)	(25,348)
30	परामर्शी - एसएलएनए - त्रिपुरा क्षे.का	1,03,480	1,03,480
31	परामर्शी -ईएफआई के लिए पारंपरिक एवं एनएचवी फसलों की भूमिका पर अध्ययन	(4,54,031)	(4,54,031)
32	परामर्शी - अध्ययन - एमजीएनआरईजीएस - पी एवं आरडी असम - क्षे.का	1,42,724	1,42,724
33	परामर्शी - टाइम एंड मोशन स्टडी नागालैंड	9,18,958	-
34	परामर्शी - जेंडर बजटिंग जीओआई के तहत प्रशिक्षण	6,12,180	-
35	परामर्शी - जल संसाधन विभाग मेघालय - आर.सी	(33,438)	(33,438)
36	डीडीयू जीकेवाई -क्षे.का	(63,384)	(63,384)
37	बीआरजीएफ का मूल्यांकन अध्ययन - मेघालय - क्षे.का	37,487	37,487
38	एसआईआरडी राजस्थान द्वारा प्रदर्शनी दौरा	73,934	73,934
39	मत्स्य एवं सूअर कृषक (मेघालय) - क्षे.का	25,77,107	25,77,107
40	जीआईएस-एमएपी-आई डब्ल्यु एम पी-असम - क्षे.का	1,09,239	1,09,239
41	आईडब्ल्यूएमपी - मूल्यांकन पीएमकेएसवाई - बी-I-त्रिपुरा - क्षे.का	2,80,000	2,80,000
42	आई डब्ल्यू एम पी - कोकराझार - क्षे.का	93,787	93,787
43	आई डब्ल्यू एम पी-प्रशिक्षण -एसएलएनए-असम - क्षे.का	11,22,817	11,22,817
44	आई डब्ल्यू डब्ल्यू पी - मूल्यांकन परियोजना नागालैण्ड - क्षे.का	7,49,990	7,49,990
45	सौर उष्मीकरण सिस्टम के लिए एमएनआरई - क्षे.का	3,99,969	3,99,969
46	एनईसी -क्षमता -निर्माण-एनआरएलएम-तीसरा चरण - क्षे.का	(16,20,074)	(16,20,074)
47	एनईसी - एमएपी - क्षे.का	(1,21,048)	(1,21,048)
48	एनईसी - झूम कृषि भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी - क्षे.का	1,11,504	1,11,504
49	एनएफडीबी -बील मछली प्रशिक्षण -क्षे.का	1,14,783	1,14,783
50	एनएफडीबी -कतोरा -नलहरी में मत्स्य पालन विकास - क्षे.का	31,171	31,171

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2022 (रू.)	31 मार्च, 2021 (रू.)
51	वर्षा जल सिंचाई - क्षे.का	(1,115)	(1,115)
52	एसएमई पर एसटीपी और दक्षिण कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा- असम सरकार-क्षे.का	12,71,697	12,71,697
53	मेघालय के लिए जल संसाधन पर एसटीपी - क्षे.का	1,69,655	1,69,655
54	टीएसआई-बीआरजीएफ, मेघालय - क्षे.का	6,39,036	6,39,036
55	ग्राम अभिग्रहण - हतियुता -क्षे.का	15,656	15,656
56	व्यावसायिक प्रशिक्षण - डब्ल्यूजीएच - मेघालय - क्षे.का	23,92,943	23,92,943
57	वेस्ट गारो हिल्स -मेघालय प्रशिक्षण एवं परिचयात्मक दौरा - क्षे.का	14,95,000	14,95,000
58	प्राप्य के रुप में प्रदर्शित शेष (ए8 को अंतरित)	91,85,215	57,96,332
	कुल	**3,29,73,345**	**3,45,44,048**
अनुसूची	**(एल 5) परामर्शी देयताएं**		
1	निवेश पर 25% ब्याज - हितकारी निधि	13,05,713	9,33,603
2	निवेश पर 75% ब्याज - विकास निधि	39,17,139	28,00,807
3	सी0269 सामान्य एवं परामर्शी खाते के बीच अंतरण	1,22,64,674	1,06,06,674
4	सी0272 मानदेय उचंत	10,92,855	10,92,855
5	सी0282 आयकर	3,900	3,900
6	विविध प्राप्तियां -एनईआरसी	3,80,088	3,80,088
7	प्राप्य के रुप में प्रदर्शित शेष (ए8 को अंतरित)	-	-
8	देयताएं के रुप में प्रदर्शित शेष (ए8 से अंतरित)	1,64,800	-
9	प्रतिभूति जमा - क्षे.का	2,78,936	3,38,937
	कुल	**1,94,08,105**	**1,61,56,864**
अनुसूची	**(एल 6) देयताएं एवं प्रावधान**		
	एचओ - हैदराबाद		
1	एस0010 एस-प्रतिभूति जमा	1,14,67,196	1,12,52,569
2	एस0011 एस-बयाना राशि जमा	34,54,721	32,79,337
3	एस0014 एस-आयकर (ठेकेदार) - 94सी	3,71,053	1,06,575
4	एस0014 टी डी एस वेतन 92बी	(3,94,706)	(6,22,699)
5	टीडीएस किराया - 94आई	15,000	-
6	आयकर - 94जे	3,55,983	4,33,280
7	एस0058 एस- बिक्री कर / वैट	1,54,109	1,54,109
8	एस2119 आरसेटी	64,83,184	72,17,840
9	एस2233 परियोजना से एनआईआरडी को अनुश्रवण प्रभार	19,31,41,323	13,73,28,131
10	एस2237- अवर्गीकृत आरटीजीएस प्राप्तियाँ	4,75,63,131	4,94,50,038
11	एस2252 जीएसटी प्रेषण	25,284	-
12	एस2257 जीएसटी पर टीडीएस	1,29,280	(630)
13	उचंत	1,47,51,556	-
14	प्रतिपूर्ति व्यय देय	2,07,822	-
15	पीएफ खाते में देय	54,01,616	-
16	आयोजित प्लान कैपिटल सोलर के साथ- (प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड)	4,46,505	-
17	टी1011 बकाया देयताएँ	2,22,78,553	3,22,26,479
	एनईआरसी - गुवाहाटी		
18	एस0010 एस-प्रतिभूति जमा -एनईआरसी	8,62,411	8,62,411
19	एस0011 एस-बयाना राशि जमा-एनईआरसी	4,85,679	4,63,515
	एनआईआरडी - दिल्ली		
20	ठेकेदार से जमा	57,000	57,000
21	पुराने चेक	1,46,370	4,29,119
22	अन्य प्रावधान (वेतन एवं प्रशासन)	74,36,065	74,36,065
23	कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रदर्शनी, फराह, मथुरा	-	3,845
24	सरस आजीविका 2019	-	35,68,306
25	सरस आजीविका 2019 इंडिया गेट	-	67,40,255
26	सरस-आईआईटीएफ 2019(14802288-7628406) -सूरजकुंड मेला	-	1,48,02,288
27	दिल्ली शाखा उचंत	1,76,802	11,494
28	टीडीएस - 94सी- दिल्ली	-	14,716
29	देयता के रूप प्रदर्शित शेष (ए4 से स्थानांतरित)	2,37,715	2,73,450
30	प्राप्य के रूप में प्रदर्शित शेष (ए4 में स्थानांतरित)	3,94,706	6,23,329
	कुल	**31,56,48,358**	**27,61,10,822**

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2022 (रू.)	31 मार्च, 2021 (रू.)
	(एल7) पारगमन लेखा		
1	एस0013 एस-आयकर (वेतन)	22,94,358	19,58,717
2	एस0015 एस-एल आई सी	1,77,115	2,03,326
3	एस0016 एस-जी आई एस	(83,224)	6,795
4	एस0017 एस-हितकारी निधि वेतन	3,10,528	-
5	एस0018 एस-वृत्ति कर	73,250	18,450
6	एस0019 एस-एस आर सी	1,891	1,933
7	एस0041 एस-डाक जीवन बीमा योजना	7,614	7,614
8	एस0077 एस-बैंक ऋण	10,97,565	10,86,950
9	एस0088 एस-बीवीबीवी स्कूल शुल्क	(9,550)	(9,550)
10	एस0095 एस-केबल टीवी कनेक्शन	7,300	9,700
11	एस0113 एस-एनईआरसी	100	200
12	एस2232 स्वास्थ्य संचित निधि	(10,01,589)	-
13	एस2246 सीएओ; कपार्ट, नई दिल्ली	1,110	750
14	एस2247 महालेखाकार हैदराबाद	60,770	50,770
15	एस2251 यूएस प्रशासन मिजोरम सरकार	4,680	4,680
16	एस2253 एजी (जनरल-1) महाराष्ट्र	-	30,120
17	एस2255 एजी ओडिशा एओ (सी)	25,710	25,710
18	एस2256 सीबीडीटी मुंबई एओ(ए)	25,710	40,710
19	एस2258 जामिया मिलिया इस्लामिया -रूबिना नुसरत	-	450
20	एस2259 एसवी पशु चिकित्सा विश्वविध्यालय तिरूपति - वाई वी रामन रेड्डी	(10,232)	612
21	एस2261 पीएओ एमओआरडी - एफए	20,120	20,120
22	एस2262 एसआईआरडी भुबनेश्वर	25,000	25,000
23	एस2266 जीपीएफ सदस्यता वसूली	17,30,570	-
24	एस2267 सीपीएफ सदस्यता वसूली	2,58,910	-
25	एस2268 एनपीएस सदस्यता वसूली	7,82,962	-
26	एस2269 जीपीएफ और सीपीएफ अग्रिम वसूली	46,845	-
27	एस2264 जीएसटी सामान्य प्रेषण	5,99,136	4,14,132
28	एस2265 जीएसटी डीडीयूजीकेवाई प्रेषण	-	9,78,614
29	एस2274 डीडीओजीएडी	14,620	15,620
30	एस2275 पुराने चेक	7,25,414	73,41,268
31	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (ए7 को अंतरित)	11,04,595	9,550
	कुल	**82,91,278**	**1,22,42,241**
अनुसूची	**(एल8) अंतरण लेखा**		
1	देयताएं के रुप में प्रदर्शित शेष (ए11 से अंतरित)	30,71,52,161	1,89,55,189
	कुल	**30,71,52,161**	**1,89,55,189**
अनुसूची	**(एल8) परामर्शी अंतरण लेखा**		
1	परामर्शी - सामान्य निधि को अंतरण	4,16,658	4,16,658
2	जेड0029 - परामर्शी अंतरण लेखा	6,08,788	6,08,788
	कुल	**10,25,446**	**10,25,446**
अनुसूची	**(एल9) सहायता में अनुदान का अव्ययित शेष - ग्रामीण विकास मंत्रालय**		
1	सामान्य	5,36,11,175	-
2	वेतन	-	-
3	पी0024 जीआईए बैंक खाते पर ब्याज (ग्रामीण विकास मंत्रालय को वापसीयोग्य)	1,81,64,284	36,93,491
4	पी0025 - योजना - पूंजीगत अनुदान	43,82,33,317	-
	कुल	**51,00,08,776**	**36,93,491**

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2022 (रू.)	31 मार्च, 2021 (रू.)
अनुसूची	**(ए4) चालू आस्तियां एवं अग्रिम**		
1	क्षे.का - एनईआरसी - उचंत	99,15,275	1,22,22,000
2	टी1009 अंतः शेष	24,22,967	48,81,581
3	टी1010 अर्जित आय	2,91,39,046	7,40,51,379
4	टी1012 पूर्व प्रदत्त व्यय	2,22,336	8,13,394
5	टी1136 उपलब्ध टी - स्टैम्प	-	86,500
6	टीडीएस प्राप्य - वित्तीय वर्ष 2020-21	8,78,453	66,970
7	टीडीएस प्राप्य - वित्तीय वर्ष 2021-22	5,52,517	-
8	09.01.01.04.10 आस्थगित व्यय - ई कार्यालय अनुरक्षण	61,46,070	81,94,760
9	साइबरोम एसओपीएचओएस फ़ायरवॉल आस्थगित व्यय	8,26,000	-
	09.01.01.12 ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य निधि		
9	निक्षेप/मूल्यह्रास निधि - ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य	52,11,66,421	56,41,61,689
10	घाटा अनुदान की प्रतिपूर्ति (ग्रामीण विकास मंत्रालय से वापसीयोग्य)	44,12,66,569	44,12,66,569
11	कर्मचारी लाभ- बीमांकिक मूल्यांकन - ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य	2,64,17,19,415	2,50,00,70,246
12	ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	23,99,422	-
13	प्राप्य के रुप में प्रदर्शित शेष (एल3 से अंतरित)	4,00,33,056	3,06,57,473
14	प्राप्य के रुप में प्रदर्शित शेष (एल6 से अंतरित)	3,94,706	6,23,329
	कुल	**3,69,70,82,253**	**3,63,70,95,890**
अनुसूची	**(ए4) सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा**		
1	एस2101-सीएफआईई	1,58,478	-
2	एस2326 एसआरएस चेयर - रूरल लेबर	18,87,547	7,62,473
3	एस2405-एनआरएलएम संसाधन सेल	(170)	-
4	एस0520 250 मॉडल जीपी क्लस्टर	3,94,03,140	58,74,286
5	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल6 से अंतरित)	170	-
	कुल	**4,14,49,165**	**66,36,759**
अनुसूची	**(ए4) ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी**		
1	कर्मचारियों को अग्रिम	39,34,899	39,30,300
2	एन0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्ति)	(1,17,448)	(1,17,448)
3	पी0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियां)	13,40,012	18,44,612
4	एस0102 एस-अग्रदाय	2,10,570	2,10,570
5	एस0104 एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम	1,47,600	1,92,000
	एनईआरसी		
6	एन0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (एनईआरसी)	(425)	(425)
7	आरसी - विविध अग्रिम - एनईआरसी	(63,602)	(1,18,197)
8	एस0003 एस-त्यौहार अग्रिम - एनईआरसी	-	1,71,000
9	एस0104 एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम - एनईआरसी	3,06,880	3,07,924
10	विवाह ऋण	2,58,000	58,000
11	पी0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियां) - एनईआरसी	(56,070)	(37,380)
	दिल्ली		
12	कर्मचारी ऋण	4,85,813	6,05,415
13	दिल्ली - सीपीडब्ल्यूडी - जमा	2,37,11,610	2,37,11,610
14	दिल्ली - जमा - अन्य	7,27,197	7,51,074
15	दिल्ली - ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य	-	1,31,42,616
16	दिल्ली - कर्मचारियों से प्राप्य	5,76,100	5,76,100
17	दिल्ली - कर्मचारियों को अग्रिम पर अर्जित ब्याज	29,930	29,930
18	डाक टिकट - फ्रैंकलिंग	1,506	1,506
19	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल6 को अंतरित)	2,37,545	2,73,450
	कुल	**3,17,30,117**	**4,55,32,657**

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2022 (रू.)	31 मार्च, 2021 (रू.)
अनुसूची	**(ए5) जमा**		
1	एनईआरसी अतिथि गृह मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी जीएचवाई के पास जमा	21,78,939	55,61,198
2	एलडीओ नई दिल्ली के पास जमा	18,94,586	18,94,586
3	पी0016-टेलिफोन एवं अन्य जमा	4,88,675	4,88,675
4	टी1117- एपीएसईबी के पास जमा (आरआरएस 345)_	19,40,270	19,40,270
5	टी1118- ब्याज सहित अनुभाग जमा एपीएसईबी (आरआरएस 538)	5,09,200	5,09,200
6	टी1119-महा प्रबंधक टेलीफोन के पास जमा	3,74,496	3,74,496
7	टी1120-ए पी डी डी सी के पास जमा	6,240	6,240
8	टी1124-सपना उद्यम के पास जमा	7,200	7,200
9	टी1125- सीएच.एसपी, सीटीपी टेलीफोन कार्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद के पास जमा	10,000	10,000
10	टी1138 अन्य एजेन्सियों के पास जमा	9,70,500	9,70,500
11	टी1140-एपीसीपीडीसीएल के पास जमा (अरावली अतिथि गृह)	4,64,203	4,64,203
	कुल	**88,44,309**	**122,26,568**
अनुसूची	**(ए6) सावधि जमाओं में निवेश**		
	सामान्य		
1	एस0005 सावधि एवं लघु अवधि जमा खाता	64,92,85,683	1,74,55,20,742
2	एस2235 बीजी के विपरीत एस बी एच के पास सावधि जमा	9,72,958	6,16,000
	कुल	**65,02,58,641**	**1,74,61,36,742**
	चिह्नित निधियां		
1	भवन निधि - निवेश	-	18,07,68,902
2	भवन निधि - अर्जित आय	-	98,79,020
3	भवन निधि - एसबीआई - एनआईआरडी शाखा 52040475211	29,05,902	1,00,835
4	भवन निधि - आंध्रा बैंक 125510100109584	4,50,074	4,36,931
5	विकास निधि - निवेश	-	9,43,52,661
6	विकास निधि - अर्जित ब्याज	-	51,63,906
7	विकास एसबीआई-एनआईआरडी शाखा (खाता सं. 52040475255)	3,46,911	1,97,482
8	विकास निधि - आंध्रा बैंक 122510100109593	62,553	60,725
9	निक्षेप/मूल्यह्रास निधि - सावधि जमा निवेश	41,00,00,000	35,15,00,000
10	निक्षेप/मूल्यह्रास निधि - उपार्जित ब्याज	3,22,222	1,92,13,028
	संचित निवेश		
1	संचित निधि - निवेश	3,43,80,26,327	3,03,47,64,022
2	संचित निधि - अर्जित आय	32,83,106	1,54,57,374
3	संचित -एसबीआई-एनआईआरडी - 62112588084	7,99,92,107	7,89,53,545
		3,93,53,89,201	**3,79,08,48,431**
	अन्य परियोजना - निवेश		
1	डीडीयूजीकेवाई - निवेश	6,28,96,497	5,97,00,000
2	एसआरएससी - निवेश	10,45,00,000	9,95,00,000
3	सीएफआईई - निवेश	-	10,05,61,833
	कुल	**16,73,96,497**	**25,97,61,833**
अनुसूची	**(ए7) पारगमन लेखा**		
1	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल7 से अंतरित)	11,04,595	9,550
	कुल	**11,04,595**	**9,550**
अनुसूची	**(ए8) परामर्शी आस्तियां**		
1	अग्रिम - टीए/डीए - क्षे.का	3,00,221	3,05,221
2	सी0270-हितकारी निधि उचंत	4,585	22,352
3	ईएमडी-क्षे.का	96,300	96,300
4	विविध अग्रिम - क्षे.का	(1,64,800)	6,319
5	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल4 से अंतरित)	91,85,215	57,96,332
6	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल5 से अंतरित)	-	-
7	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल5 को अंतरित)	1,64,800	-
	कुल	**95,86,321**	**62,26,524**

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2022 (रू.)	31 मार्च, 2021 (रू.)
अनुसूची	**(ए9) सामान्य लेखों का अंत:शेष**		
	सामान्य लेखा शेष		
1	सीएफआई -एसबीआई -एनआईआरडी (62094863681)	31,45,372	81,83,411
2	डीडीयू जीकेवाई -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा (62431332037)	5,69,49,463	11,84,55,611
3	मनरेगा -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा (खाता 62476174622)	83,264	5,12,586
4	एमकेएसवाई -एसबीआई -एनआईआरडी (62185305487)	95,29,115	92,76,113
5	एनआरएलएम -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा (62431461891)	60,06,483	4,45,71,494
6	आरसेटी -आंध्रा बैंक (125510100098057)- राजेन्द्रनगर	3,68,471	3,51,338
7	एसबीआई- आरसेटी पीएफएमएस 9181 सीएलटीडी - 62094415164	65,47,699	3,32,88,406
8	एसबीआई एसबी खाता (62491365119)	20,99,74,796	7,09,72,887
9	एसबीआई एसबी खाता (52040475313)	22,50,26,190	23,94,90,768
10	सामान्य खाता आंध्रा बैंक 125510100109566	1,70,97,72,877	18,95,763
11	एसबीआई चालू खाता (52040475062)	2,19,80,306	2,18,65,715
12	एसबीआई-डीईसी पीजीडी एसआरडी (62114579633)	1,64,188	1,59,828
13	एसबीआई -एनआईआरडी डीईसी-पीजी सी-गार्ड (62350105231)	1,064	1,036
14	एसबीआई -एनआईआरडी पीजीडीआरडीएम (62052905893)	2,64,41,073	55,66,530
15	एसआरसीबी -एसबीआई -एनआईआरडी राजेन्द्रनगर (62221101177)	21,23,948	27,69,718
16	यूएनडब्ल्य - एसबीआई यूएन महिला बैंक (62487461885)	30,860	30,041
17	एनआईआरडीपीआर कार्य अनुसंधान - एसबीआई - पीएफएमएस 796 - 38831856272	10,615	10,332
18	एनआईआरडीपीआर जीआईए - एसबीआई - पीएफएमएस 3825 - 38831858496	22,71,36,875	10,72,55,522
19	एनआईआरडीपीआर पीएमजीएसवाई - एसबीआई- पीएफएमएस 9179 - 38831859885	10,615	10,332
20	एनआईआरडीपीआर आरजीएसए - एसबीआई - पीएफएमएस 3617 - 38831861328	7,16,37,482	7,89,28,368
21	एनआईआरडीपीआर प्रायोजित परियोजनाएं - 39192410848	6,72,119	10,942
	एनईआरसी - गुवाहाटी		
22	पीएनबी-एनईआरसी(सीए -1907012100000012 & 1907010100000373)	3,22,30,775	1,53,69,930
	दिल्ली		
23	दिल्ली - ईपीएफ 3612899954	29,264	546
24	दिल्ली - सामान्य 3815818168	1,36,01,318	1,25,91,583
25	एफसीआरए - आईओबी 149801000027100	37,01,932	35,92,014
26	पीएमआरडीएफ- सीबीआई- 3341604957	1,30,90,265	65,11,084
27	कपार्ट को सहायता 3057561005	13,29,124	12,92,356
	कुल	**2,64,15,95,551**	**78,29,64,254**
अनुसूची	**(ए10) अंत:शेष परामर्शी लेखा**		
	हैदराबाद		
1	एसबीआई-एनआईआरडी (52040475346) - परामर्शी	22,24,515	19,38,781
2	परामर्शी आन्ध्र बैंक खाता 125510100109609	39,087	37,944
	एनईआरसी- गुवाहाटी		
3	परामर्शी - एनआरएलएम आरसी-एनईआरसी 4652000100041001	16,53,681	85,71,286
4	पीएनबी-गुवाहाटी-एनईआरसी 1907010100000382	2,86,16,207	2,51,76,313
	कुल	**3,25,33,489**	**3,57,24,324**
अनुसूची	**(ए11) अंतरण लेखा**		
1	एस0009 एस- सामान्य खाता एवं परामर्शी खाते के बीच अंतरण	10,00,000	10,00,000
2	एस0030 सामान्य खाता एवं अन्य खातों के बीच अंतरण	3,000	3,000
3	एस-सामान्य खाता एवं चिकित्सा संचित निधि के बीच अंतरण	36,66,980	15,37,016
4	सामान्य और जीपीएफ खाते के बीच अंतरण	1,42,37,856	-
5	एस2216 सी एल टी डी के बीच सामान्य खाते में अंतरण	-	(26,89,000)
6	पीएफ खाते से सामान्य और पीएफ (यूबीआई) में अंतरण	(25,59,74,141)	-
7	टी1116- भवन खाते के लिए अंतरण	(400)	326,93,583
8	सामान्य और आरसेटी खाते के बीच अंतरण	3,42,988	-
9	डीडीयू जीकेवाई 531 खोते से एसबी 313 खाते के बीच अंतरण	(1,62,66,189)	(1,62,66,189)
10	सामान्य एवं संचित के बीच अंतरण	(3,49,11,431)	19,955
11	देयता के रूप में प्रदर्शित शेष (एल8 को अंतरित)	30,71,52,161	1,89,55,189
	कुल	**1,92,50,824**	**3,52,53,554**

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए हितकारी निधि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2021 को रू.	प्राप्तियाँ	31 मार्च 2022 को रू.
28,52,819	प्रारंभिक शेष - बैंक	7,52,154
-	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	-
-	परामर्शी एसबी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षे.का	-
509,39,311	सावधि जमाओं में निवेश (परिपक्व)	-
30,48,112	निवेशों पर ब्याज	-
2,68,987	कर्मचारियों से अंशदान - एनआईआरडी	-
18,980	कर्मचारियों से अंशदान - एनईआरसी	19,000
-	कर्मचारियों से अंशदान - दिल्ली केन्द्र	800
8,26,039	विवाह ऋणों की वसूली	2,82,000
1,14,807	शिक्षा ऋणों की वसूली	-
81,358	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-
-	एनआईआरडी सामान्य खाते से अंतरण	6,40,491
51,741	एसबी खाते पर ब्याज	12,649
582,02,154	**कुल**	**17,07,094**
	भुगतान	
-	विवाह ऋण	-
-	सावधि जमाओं में निवेश	-
25,000	उच्च शिक्षा ऋण	1,50,000
25,000	मृतक कर्मचारियों के निराश्रित परिवार को सहायता	25,000
16,00,000	विवाह ऋण	11,00,000
558,00,000	सावधि जमा में निवेश	-
-	बैंक प्रभार	-
7,52,154	अंत:शेष - बैंक	4,32,095
582,02,154	**कुल**	**17,07,095**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

वर्ष 2021-22 के लिए हितकारी निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2021 को रू.	**आय**	**31 मार्च 2022 को रू.**
2,94,039	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	1,66,123
26,318	परामर्शी एसबी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षे.का और मुख्यालय	2,05,988
(1,17,605)	परामर्शी निवेशों पर अर्जित 25% अर्जित ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	-
2,68,987	कर्मचारियों से अंशदान - मुख्यालय	96,598
18,980	कर्मचारियों से अंशदान - एनईआरसी	19,000
-	कर्मचारियों से अंशदान - दिल्ली केन्द्र	800
81,358	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	36,718
21,39,202	निवेशों पर ब्याज	23,97,879
8,28,004	प्राप्त ब्याज	3,73,583
51,741	एसबी खाते पर ब्याज	12,649
35,91,024	**कुल**	**33,09,338**
	व्यय	
25,000	मृतक कर्मचारियों के निराश्रित परिवार को सहायता	25,000
-	बैंक प्रभार	-
35,66,024	व्यय पर आय की अधिकता को तुलन पत्र में ले जाया गया	32,84,338
35,91,024	**कुल**	**33,09,338**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2022 को हितकारी निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2021 को रू.	देयताएं		31 मार्च 2022 को रू.
576,35,412	पूंजीगत निधि - प्रारंभिक शेष	6,12,01,436	
-	वर्ष के दौरान आहरण	4,50,00,000	
35,66,024	जोड़े : तुलन पत्र में लेजाया गया व्यय पर आय की अधिकता	32,84,338	
612,01,436			1,94,85,774
-	चिकित्सा संचित निधि के खाते में देय		28,30,800
612,01,436	**कुल**		**2,23,16,574**
	आस्तियां		
558,00,000	सावधि जमा में निवेश		1,68,56,683
8,28,004	प्राप्त ब्याज		3,73,583
9,33,603	परामर्शी निवेशों पर 25% प्राप्त ब्याज का अंतरण - मुख्यालय		13,05,713
28,87,675	कर्मचारियों को अग्रिम		30,37,972
7,52,154	अंत:शेष - बैंक		4,32,095
-	एनआईआरडी सामान्य खाते से प्राप्य		3,10,528
612,01,436	**कुल**		**2,23,16,574**

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

वित्त वर्ष 2020-21 (रु.)	प्राप्तियाँ	वित्त वर्ष 2021-22 (रु.)
205,18,520	प्रारंभिक शेष - बैंक	9,64,92,548
67,05,070	अंशदान / अग्रिम वसूली (एनईआरसी)	85,52,788
397,21,138	अंशदान / अग्रिम वसूली (मुख्यालय)	4,04,62,757
116,01,494	प्रबंधन का योगदान	4,95,864
1759,24,160	दिल्ली - सीपीएफ	1,06,24,543
76,39,395	निवेशों पर ब्याज	1,39,11,931
65,04,518	दिल्ली - अर्जित ब्याज	-
6,11,426	एसबी खाते पर ब्याज	10,90,045
2356,13,106	सावधि जमाओं का नकदीकरण	17,37,80,042
1,000	सामान्य खाते से भविष्य निधि खाते में अंतरण	1,50,00,000
5048,39,827	**कुल**	**36,04,10,518**
	भुगतान	
450,66,451	जीपीएफ	3,73,35,995
242,25,388	सीपीएफ	4,35,84,477
193,94,193	नई पेंशन योजना	2,05,27,342
886,86,032		**10,14,47,814**
3120,52,838	निवेश	-
-	बैंक प्रभार	-
65,04,518	दिल्ली - अर्जित ब्याज	-
-	भविष्य निधि खाते से सामान्य खाते को अंतरण	25,00,00,000
2,07,625	दिल्ली सीपीएफ अग्रिम	
6,40,688	दिल्ली सीपीएफ ऋणमुक्ति	-
2,55,578	दिल्ली कर्मचारियों से प्राप्य	-
-	एनएसडीएल सेवा शुल्क	22,293
964,92,548	अंत:शेष - बैंक	89,40,411
5048,39,827	**कुल**	**36,04,10,518**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि का आय एवं व्यय लेखा

वित्त वर्ष 2020-21 (रु.)	**आय**	**वित्त वर्ष 2021-22 (रु.)**
68,73,195	निवेशों पर ब्याज	50,11,579
95,10,953	प्राप्त ब्याज	13,35,967
6,11,426	एसबी खाते पर ब्याज	78,26,330
169,95,574	**कुल**	**1,41,73,876**
	व्यय	
20,64,217	जीपीएफ में जमा किया गया ब्याज (मुख्यालय एवं क्षे.का)	63,58,097
60,77,329	सीपीएफ में जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)	38,40,024
34,03,801	सीपीएफ में जमा किया गया ब्याज (संस्थागत अंशदान)	57,57,633
-	एनपीएस टी-I में जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)	-
-	एनपीएस टी-I में जमा किया गया ब्याज (संस्थागत अंशदान)	-
-	परिशोधन खर्च - दिल्ली	89,724
-	एनएसडीएल सेवा शुल्क	22,293
-	बैंक प्रभार	-
115,45,347	**कुल**	**1,60,67,771**
54,50,227	व्यय पर आय की अधिकता	**(18,93,895)**
-	जोड़ें : पूर्व अवधि की आय	**-**
-	घाटा: पूर्व अवधि व्यय	**82,247**
54,50,227	**शेष अधिशेष होना/ /(घाटा) पूंजी शेष में ले जाया जाना**	**(19,76,142)**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2022 को भविष्य निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2021 को रू.	देयताएं		31 मार्च 2022 को रू.
347,75,004	अधिशेष - बी/डी	3,73,16,077	
54,50,227	जोड़ें : व्यय पर आय का आधिक्य / घाटा	(19,76,142)	
(29,09,154)	घटाव : समायोजन	-	3,53,39,935
	भविष्य निधि की शेष राशि		
1072,76,617	जीपीएफ		10,55,63,302
1656,12,277	सीपीएफ		12,89,41,441
419,51,406	प्रबंधन अंशदान		5,00,34,004
35,19,567	नई पेंशन योजना - टायर-I (एनईआरसी)		37,92,824
5,01,514	विविध लेनदार		5,01,514
1,000	सामान्य निधि में अंतरण		1,42,38,856
3561,78,458	**कुल**		**33,84,11,876**
	आस्तियाँ		
2490,71,066	निवेश		6,62,91,024
95,10,953	प्राप्त आय		13,35,967
2,07,625	दिल्ली सीपीएफ अग्रिम		-
6,40,688	दिल्ली सीपीएफ ऋणमुक्ति		4,68,717
2,55,578	दिल्ली - कर्मचारियों से प्राप्य		-
-	सामान्य खाते से भविष्य निधि खाते में अंतरण		26,13,75,757
964,92,548	बैंक में नकद		89,40,411
3561,78,458	**कुल**		**33,84,11,876**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

जी कुमार

(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए चिकित्सा संचित निधि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

वित्त वर्ष 2020-21 (रु.)	प्राप्तियाँ	वित्त वर्ष 2021-22 (रु.)
74,99,282	प्रारंभिक बैंक शेष	24,87,791
61,84,094	सावधि जमा में निवेश (परिपक्व)	-
5,16,413	निवेशों पर ब्याज	-
36,88,964	पेंशन भोगियों से अंशदान	10,01,589
8,40,350	कर्मचारियों से अंशदान	11,83,726
1,60,323	एसबी खाते पर ब्याज	68,560
188,89,426	**कुल**	**47,41,666**
	भुगतान	
14,01,635	चिकित्सा व्यय - सदस्य	30,58,731
1,50,00,000	निवेश	-
-	बैंक प्रभार	-
24,87,791	बैंक अंत:शेष	16,82,935
188,89,426	**कुल**	**47,41,666**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

वर्ष 2021-22 के लिए चिकित्सा संचित निधि का आय एवं व्यय लेखा

वित्त वर्ष 2020-21 (रु.)	आय	वित्त वर्ष 2021-22 (रु.)
3,53,935	निवेश पर ब्याज	6,45,585
37,18,964	पेंशन भोगियों से अंशदान	10,01,589
8,40,350	कर्मचारियों से अंशदान	11,83,726
2,89,364	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	2,91,124
1,60,323	एसबी खाते पर ब्याज	68,560
53,62,936	**कुल**	**31,90,584**
	व्यय	
29,68,651	चिकित्सा व्यय - सदस्य	30,79,358
-	बैंक प्रभार	-
23,94,285	व्यय पर आय की अधिकता	1,11,226
53,62,936	**कुल**	**31,90,584**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2022 को चिकित्सा संचित निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2020 को रू.	देयताएं		31 मार्च 2021 को रू.
1,63,74,289	एनआईआरडी चिकित्सा संचित निधि	1,87,68,574	
-	जोड़ें: हितकारी निधि से अंतरण	4,50,00,000	
23,94,285	जोडे : व्यय पर आय की अधिकता	1,11,226	
1,87,68,574			**6,38,79,800**
15,37,016	एनआईआरडीपीआर सामान्य खाते में देय		36,66,980
2,03,05,590	**कुल**		**6,75,46,780**
	आस्तियां		
1,75,28,435	निवेश		6,27,41,921
2,89,364	निवेशों पर प्राप्त ब्याज		2,91,124
-	हितकारी निधि खाते से प्राप्य		28,30,800
24,87,791	बैंक अंत:शेष		16,82,935
2,03,05,590	**कुल**		**6,75,46,780**

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रुप में अनुसूचियां

अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और

अनुसूची - 25 - आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां

अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

क) लेखाकरण करार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत करार और लेखांकन की संग्रहण पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

ख) संस्थान के लेखे

संस्थान निम्नलिखित लेखों का रखरखाव करता है:

i) एनआईआरडी एवं पीआर खाता

ii) परोपकारी निधि खाता

iii) भविष्य निधि खाता

iv) एनआईआरडीपीआर मेडिकल संचित निधि खाता

संस्थान के वित्तीय उप-नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार, संस्थान के लेखों को महानिदेशक द्वारा संकलित, तैयार और अनुमोदित किया जाना होता है जिसमें निम्नलिखित तीन जानकारियों को दर्शाया जाना होता है और इस तरह संकलित वार्षिक लेखों को संस्थान के लेखापरीक्षकों के सम्मुख 30 जून से पहले लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है :

i) प्राप्ति और भुगतान लेखा

ii) आय और व्यय लेखा

iii) तुलन पत्र

लेखों की लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं भारत के महालेखापरीक्षक को भेजा जाता है।

2. सरकारी अनुदान

संस्थान को निधिपोषण केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान से होता है। लेखानुदान (सामान्य एवं वेतन) की गणना संग्रहण आधार पर की जाती है। वर्ष की समाप्ति पर पूंजीगत अनुदान की राशि को उपयोग में लाया जाता है और उसे पूंजीगत निधि को अंतरिक किया जाता है। उपयोग में न लाए गए शेष ऐसे अनुदान बकाया को तुलन पत्र के अंतर्गत देयतायें में अनुदानों के अंतः शेष में दर्शाया जाता है। सामान्य एवं वेतन के अंतर्गत विशिष्ट रुप से प्राप्त निधियों की गणना पृथक रुप से की जा रही है।

3. परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन

सावधि जमा आस्तियों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में तुलनपत्र में दर्शाए गए निवल ह्रास और लागत पर किया जाता है ।

4. मूल्यह्रास

भारत सरकार, (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के लिए लेखों के सामान्य फार्मेट के अनुसार आस्तियों के मूल्यों पर मूल्यह्रास उपलब्ध कराता है। तद्नुसार संस्थान के कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार आय कर अधिनियम में निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य विधि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारंभ में आस्तियों के मूल्य पर मूल्यहास के 100%लागू दरों को उपलब्ध कराया गया ।

वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के लिए, अधिग्रहीत संपत्ति के लिए लागू दर के अनुसार पूर्ण मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है और 6 महीने से अधिक तथा छह महीने से कम अविध के लिए मूल्यह्रास की लागू दर का 50% से अधिक उपयोग किया जाता है। मूल्यह्रास अवधि के अंत में संपत्तियों को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर दिखाया गया है। रू.5000 या उससे कम लागत वाली संपत्ति को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोडकर)

5. औषधियों, लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल्स के अंतः स्टॉक को खरीदी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

6. संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और प्रकाशनों के अंतः स्टॉक को लागत या बिक्री मूल्य जो भी कम हो मूल्यांकित किया जाता है ।

7. कैश आधार पर परियोजना लेखों की गणना की जाती है ।

8. **सेवानिवृत्ति लाभ :** सेवानिवृत्ति लाभ जैसे - पेन्शन, ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण को वास्तविक आधार पर प्रदान किए जाते हैं। कृपया नोट संख्या 14 (सी) और (डी) भी देखें।

9. **वित्तीय प्रबंधन :** संस्थान के वित्त प्रबंध एवं नियंत्रण को सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को देखते हुए लागू किया जा रहा हैं ।

10. संस्थान के वित्तीय उपनियम बजट, निवेश नीतियों, लेखों और लेखापरीक्षा आदि सहित वित्तीय और लेखा पहलुओं के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं जिनका संस्थान पालन कर रहा है।

11. **आयकरः** संस्थान को आयकर निदेशक (छूट), हैदराबाद के आदेश सं. डीआईटी(ई)/12ए/एचवाईडी/21(04)/07-08 दिनांक 20.09.2007 द्वारा दिनांक 01.04.2007 से धारा 12एए के तहत आयकर में छूट प्रदान की जाती है। उसी प्रकार आयकर निदेशक (छूट), हैदराबाद के आदेश सं. डीआईटी(ई)/हैद./80जी/17(06)/09-10 दिनांक 17.07.2009 द्वारा 01.04.2009 से 31.3.2011 तक एनआईआरडी को किए गए दान के लिए आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के तहत एनआईआरडी को मंजूरी दी गई है। धारा 80जी(5)(vi) के तहत छूट को आदेश संख्या डीआईटी(ई)/हैद./80जी/20(05)/11-12 दिनांक 26.08.2011 द्वारा अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। दस्तावेज़ पहचान सं. AAAAN4871BE2021101 दिनांक 06-04-2022 द्वारा आयकर विभाग ने धारा 12ए के तहत निर्धारण वर्ष 2022-23 से निर्धारण वर्ष 2026-2027 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान की है और दस्तावेज़ पहचान सं-. AAAAN4871B F2021101 द्वारा धारा 80जी के तहत निर्धारण वर्ष 2022-23 से निर्धारण वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए छूट प्रदान किया है।

12. विकास निधि, भवन निधि और समग्र निधि के लेखें को "चिन्हित निधियों" के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। इसके अलावा एफसीआरए, पीएमआरडीएफ देयताओं और पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए बीमांकिक प्रावधानों को भी "चिन्हत निधियों" के तहत गणना की गई थी। इनमें से प्रत्येक फंड के बैलेंस को तुलन पत्र के देनदारियों के तहत अनुसूची 3 "चिन्हत निधियों" के तहत प्रदर्शित किया गया है।

मूल्यह्रास रिजर्व / सिंकिंग फंड को अनुसूची 2 रिजर्व और सरप्लस के तहत रखा गया है।

परिणामस्वरूप संबंधित निधियों की प्राप्ति और भुगतान संबंधित निधियों के माध्यम से ही किए जाते हैं और एनआईआरडीपीआर के आय और व्यय खाते के माध्यम से नहीं किए जाएंगे।

एनआईआरडीपीआर की तुलन पत्र की अनुसूची 8 "अचल परिसंपत्तियाँ" के तहत उपरोक्त निधियों में से अधिग्रहित की गई अचल संपत्तियां प्रदर्शित की जाती हैं। इसलिए उस पर मूल्यह्रास एनआईआरडीपीआर के आय और व्यय खाते में लगाया गया था। लेखा 14 (एस) पर नोट्स भी देखें।

13. एनआईआरडीपीआर में वित्त और लेखा नियमावली है।

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां

14. लेखा टिप्पणियाँ

1. सामान्य लेखें - आय और व्यय खाता और तुलन पत्र में आंकड़ों को एनआईआरडीपीआर के लिए समग्र रूप से (एनईआरसी गुवाहाटी और दिल्ली केंद्र सहित) प्रदर्शित किए जाते हैं। संस्थान प्रायोजक एजेंसियों के साथ एनआईआरडीपीआर द्वारा सहमत नियमों और शर्तों पर परामर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन, परियोजना आदि चलाता है। संस्थान प्रायोजक एजेंसी से शुल्क लेता है, ऐसे कार्यक्रमों/परियोजनाओं की लागत के प्रति शुल्क और इस तरह के परामर्श कार्य पर व्यय उसी में से किया जाएगा।
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एक प्रमाणित बीमांकन (एलआईसी ऑफ इंडिया) के माध्यम से सेवानिवृत्ति लाभों यानी ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया था। 31 मार्च 2022 तक अनुमानित देनदारी रुपये 297.77 करोड़ (ग्रेच्युटी- 22.58 करोड़ रुपये, मौजूदा पेंशन- 116.65 करोड़ रुपये, मौजूदा कर्मचारियों को पेंशन- 140.13 करोड़

रुपये और छुट्टी नकदीकरण - 18.41 करोड़ रुपये) थी। 30-04-2020 तक दिल्ली केंद्र से संबंधित देयता को वार्षिक लेखों में 12.50 करोड़ रुपये (शुद्ध राशि) के लिए प्रदान किया गया है। 2021-22 के दौरान, 31-03-2022 की तुलना में 31-03-2021 को बीमांकिक मूल्यांकन में अंतर वृद्धि 35.27 करोड़ रुपये थी। इनमें से उपलब्ध शेष राशि के अनुसार सहायता अनुदान (वेतन) पर रु. 21.11 करोड़ प्रभारित किए गए। 14.16 करोड़ रुपये को एमओआरडी द्वारा और वित्तपोषित किए जाने की आवश्यकता है। अत:, 249.99 करोड़ रुपये की निवल देनदारी + 14.16 करोड़ रुपये = 264.15 करोड़ रुपये मंत्रालय से अभी प्राप्त होना बाकी है; उसी को तुलन पत्र - अनुसूची 11 (ए4) चालू संपत्ति और अग्रिम के तहत प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है।

3. जीएफआर 2017 नियम संख्या 230(12)(ii) के लिए एक संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जो निर्धारित करता है कि " अनुदानग्राही संस्थाओं को अपने या सरकारी खाते पर दायित्व लेने के बजाय कर्मचारियों के लिए बाजार में उपलब्ध पेंशन या ग्रेच्युटी योजनाओं या समूह बीमा योजनाओं या गृह निर्माण ऋण या वाहन योजना आदि का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चूंकि संस्थान मुख्य रूप से अपनी सभी गतिविधियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के वित्तपोषण के लिए अलग से अनुदान जारी किया जाए।

4. तुलन पत्र में - देयताएं - अनुसूची 3 चिह्नित निधियां - बीमांकिक प्रावधान: (ii) ग्रेच्युटी और (iii) छुट्टी नकदीकरण - नकारात्मक आंकड़े 31-03-2022 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधानों में 31-03-2021 की तुलना में 31-03-2022 को कमी दर्शाते हैं।

5. तुलन पत्र में - देयताएं - अनुसूची 2: मूल्यह्रास रिजर्व/ सिंकिंग फंड का प्रारंभिक शेष मूल्यह्रास का संचय है जिसे वित्त वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक आय एवं व्यय लेखों में लगाया गया था। वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों के लेखा टिप्पणियों के अनुसार, 2020 -21 के क्र.सं.16(टी) में वर्ष 2021-22 के दौरान 6.49 करोड़ रुपये की राशि मूल्यह्रास रिजर्व/ सिंकिंग फंड में स्थानांतरित की गई थी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रिजर्व में वृद्धि इस प्रकार है:

विवरण	राशि (रु.)
के लिए मूल्यह्रास	
- वित्तीय वर्ष 2019-20	3,16,59,317
- वित्तीय वर्ष 2020-21	3,35,49,661
- वित्तीय वर्ष 2021-22	3,13,95,043
निवेश पर ब्याज	72,91,717
कुल	**10,38,95,738**

6. इसके अलावा, चूंकि एनआईआरडीपीआर एमओआरडी के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है, वित्त वर्ष 2010-11 से पहले मूल्यह्रास के लिए 52,11,66,421 रूपए की कमी को अनुसूची 2 मूल्यह्रास रिजर्व / सिंकिंग फंड के तहत एमओआरडी से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

7. आकस्मिक देयताएं

क्वारटर सं. एच-6 का नवीनीकरण किया गया था और कार्य एवं भुगतान 2018-2020 तक चला था। एच6 क्वारटर में सिविल कार्यों के

विवरण	राशि
(क) एच **6** तिमाही नवीनीकरण सिविल कार्य	**11,13,029**
(ख) एच **6** तिमाही नवीनीकरण विद्युत कार्य	**4,31,431**
कुल आकस्मिक देयताएं	**15,44,460**

लिए रु.11,13,029/- और विद्युतीकरण कार्य के लिए रु.4,31,431/- की शेष राशि न्यायाधीन है।

8. संस्थान ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां भी आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किए हैं और जहां भी लागू हो, अपने वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया है। संस्थान उचित रूप से इन कार्यवाहियों के परिणाम से अपने वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव की उम्मीद नहीं करता है।

9. निम्नलिखित खाता बही को क्लब किया गया है:

अनु.	विवरण	राशि (रू.)
7.(एल6)	**देयताएं और प्रावधान (वार्षिक लेखा 2020-21)**	
	कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रदर्शनी, फराह, मथुरा	3,845
	सरस आजीविका 2019	35,68,306
	सरस आजीविका 2019 इंडिया गेट	6,740,255
	सरस-आईआईटीएफ 2019 (14802288-7628406) -सूरजकुंड मेला	1,48,02,288
	एमओआरडी (ए) को देय कुल	**2,51,14,694**
11.(ए4)	वर्तमान संपत्ति और अग्रिम - ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	
	दिल्ली - ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य (वार्षिक लेखा 2020-21)	1,31,42,616
	जनकपुरी भवन पर लाइसेंस शुल्क - नई दिल्ली (**वार्षिक लेखा-जोखा** 2021-22- आय-व्यय लेखा)	1,43,71,500*
	एमओआरडी (बी) से कुल प्राप्य	**2,75,14,116**
	एमओआरडी से निविल प्राप्य (ए – बी = सी)	**23,99,422**

*इसके अलावा, मई 2020 से इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली बिल्डिंग में तत्कालीन कपार्ट के कब्जे वाले स्थान के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क के प्रति एमओआरडी से कुछ निश्चित राशि प्राप्त की जानी है, जिसे जब भी लीज एग्रीमेंट फाइनल किया जाता है वार्षिक लेखों में शामिल किया जाएगा।

10. अनुसूची 3 के तहत समग्र निधि के अलावा उल्लिखित राशि समग्र निधि (निवेश पर आय, आईजीआर हस्तांतरण) और परिपक्वता बैंक शुल्क और सीएफएमसी खर्चों के समय प्रतिभूतियों के परिशोधन मूल्य की प्राप्तियों का निविल है।

11. आय और व्यय खाते के तहत - अनुसूची 13 अनुदान/सब्सिडी (एमओआरडी से), सामान्य के तहत एमओआरडी से प्राप्त अनुदान रु.23,98,00,000/- है। इस अनुदान में से रु. 17,93,01,651-00 का उपयोग राजस्व व्यय, रु. 68,87,174-00 का उपयोग अल्पावधि संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था, जो अनुसूची 8 में प्रदर्शित हैं। 5,36,11,175-00 रुपये के अनुदान की संपत्ति और अव्ययित शेष राशि को (एल 9) ब्याज और सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि – एमओआरडी के तहत वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

12. जहां भी संभव हो, अनुसूचियों/बही को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को तदनुसार, जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित किया गया है। जहां भी संभव हो लेजर कोड नं. आसान पहचान को सक्षम करने के लिए खाता बही के नाम से पहले से तय किया गया है। आंकड़े को निकटतम रुपये के लिए गोल किए गए हैं।

13. वार्षिक लेखा 2021-22 में केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए वित्तीय विवरणों के प्रपत्र (स्वायत्त निकायों के लिए एक समान प्रारूप) के अनुसार अनुसूचियां प्रस्तुत की गई हैं।

14. आय और व्यय लेखा - आय के अंतर्गत अनुसूची 12 से 19 में पहले की अवधि से संबंधित प्राप्तियां भी शामिल हैं।

15. **भूमि का विवरण :**

i. सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 125.00 गुंटा का विस्तार प्रेमावतीपेट गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ।

ii. सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 27.26 गुंटा का विस्तार प्रेमावती पेट गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ।

iii. सर्वे संख्या 316 में कवर किए गए ए सी 8.08 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ।

iv. सर्वे संख्या 273 में कवर किए गए ए सी 3.03 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है वर्तमान में यह भूमि अर्जन अधिकारी के पास अभिग्रहण में है ।

v. 5 बिघा का विस्तार जो जवाहरनगर के प्लॉट संख्या 19 है उसे डाग संख्या 341 एवं 346 खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा कवर किया गया है ।

vi. 1 बिघा 1 काता का विस्तार जिसे डाग संख्या 346 (1223) खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा कवर किया गया है।

vii. 2 बिघा विस्तार जिसे डाग संख्या 341(खा), 346(खा), 348(खा) खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा कवर किया गया है।

viii. शहरी विकास मंत्रालय, कोटला रोड़, राऊज एवेन्यु, नई दिल्ली द्वारा एनआईआरडीपीआर को प्लॉट नंबर 14, 850 वर्ग मीटर भूमि को जुलाई, 2002 में आबंटित की गई। यहां नोट करने वाली बात ये है कि आबंटन दिनांक से ही इस भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है।

ix. प्लॉट नंबर 58, ब्लॉक डी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली 110046 में बिल्डअप एरिया 1408 वर्ग मीटर के साथ 1004 वर्ग मीटर का प्लॉट लैंड।

x. कंसल्टेंसी-कम-गाइडेंस (सीजीसी), वैशाली, बिहार द्वारा कब्जा की गई 6 एकड़ एकड 92 डेक भूमि। जमीन का हक बिहार के राज्यपाल के नाम पर है। सीजीसी अपने उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने का हकदार है।

16. तृतीय पक्षों से प्राप्तियां और परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के शेष से संबंधित परिसंपत्तियां पुष्टि के अधीन हैं।

17. वर्ष 2021-22 के लिए चिह्नित निधियों की शेष राशि पर ब्याज की बचत दर को बहीखातों यथा एसबी लेखों पर ब्याज; और वर्ष के दौरान सामान्य खाते में अर्जित कुल ब्याज में से लघु और दीर्घावधि जमा पर ब्याज को डेबिट करके, प्रोजेक्ट बहीखातों में जमा किया गया था।

आय और व्यय लेखा और तुलन पत्र की अनुसूचियों में परिवर्तन

18. जहां भी संभव हो, अनुसूचियों/बही को 31-03-2022 तक पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है। 31.03.2021 तक राशियों का कोई पुनर्समूहीकरण नहीं है - आंकड़े पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीयों के अनुसार संबंधित शीर्षों में समान हैं। केंद्रीय स्वायत्त निकायों (स्वायत्त निकायों के लिए एक समान प्रारूप) के लिए वित्तीय विवरणों के फॉर्म का अनुपालन करने के लिए 31.03.2022 तक री-ग्रुपिंग किया जाता है।

19. आय और व्यय लेखे में :

आय और व्यय लेखे के अधिशेष को अनुसूची-1 की पूंजी निधि से हटा दिया जाता है और अनुसूची-3 में समग्र निधि में जोड़ दिया जाता है, जो स्वायत्त निकायों के लेखों के एकसमान प्रारूप के अनुरूप है।

20. भविष्य निधि के लिए प्रबंधन अंशदान को अलग से 01. संस्थान के वेतन - अनुसूची 20 स्थापना व्यय के तहत दिखाया गया है।

21. स्थापना व्यय के अन्तर्गत अन्य स्थापना व्यय को 07 वर्ष 2020-21 के लिए आय एवं व्यय लेखा में स्थापना व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

22. तुलन पत्र में - देयताएं - अनुसूची 3 चिह्नित निधि:

चिह्नित निधियों की अनुसूची-3 में पूंजीगत अनुदान-योजना को हटा दिया गया है और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों की अनुसूची-7 (एल9) में दिखाया गया है, क्योंकि यह एक वर्ष के भीतर खर्च होने का अनुमान है।

23. सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड (एमओआरडी से प्राप्य) को क्रमशः मूल्यह्रास रिजर्व/ सिंकिंग फंड और मूल्यह्रास रिजर्व / सिंकिंग फंड (एमओआरडी से प्राप्य) के रूप में नाम दिया गया है, ताकि फंड की प्रकृति को ठीक से दर्शाया जा सके। पहले यह अनुसूची-3 चिह्नित निधियों में हुआ करता था जिसे अनुसूची-2 - भंडार और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आय एवं व्यय में लगाए गए मूल्यह्रास को वापस जोड़ दिया जाता है।

24. पहले "परियोजनाओं से विशिष्ट अनुदान" जो कि अनुसूची-3 के निर्धारित कोष के तहत दिखाया जाता है, वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के अनुसूची 7 (एल3) के तहत प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि परियोजनाएं अल्पकालिक प्रकृति की होती हैं।

25. अनुसूची 7 (एल9) का नाम बदलकर ब्याज और अनुदानों की अव्ययित शेष राशि - एमओआरडी कर दिया गया है।

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

No.PDA(C)/CEA/NIRD&PR/SAR 2021-22 / 2022-23/180 **Date:24.02.2023**

सेवा में
सचिव,
भारत सरकार,
ग्रामीण मंत्रालय
महोदय,

विषय: Separate Audit Report on the accounts of National Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Hyderabad, for the year 2021-22.

******

Separate Audit Report on the Accounts of National Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Hyderabad, for the year 2021-22, Annexure thereof and one copy of the Annual Accounts for the year 2021-22, are forwarded herewith for placing before both the Houses of Parliament.

The dates of presentation of Separate Audit Report in both the Houses of Parliament may please be intimated.

Receipt of this letter along with the enclosures may kindly be acknowledged.

भवदीय,

संल:यथोपरि

Sd/-
Principal Director of Audit (Central)

No.PDA(C)/CEA/NIRD&PR/SAR 2021-22 / 2022-23/181 **Date:24.02.2023**

Copy to **Shri G. Narendra Kumar,** Director General, National Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Hyderabad, along with one copy of Annual Accounts for the year 2021-22 (English version), with a request to furnish Hindi version of the approved Annual Accounts 2021-22 (2 sets), to this Office.

संल:यथोपरि

Ch.V.Sai Prasad

(Ch.V. Sai Prasad)
Director/ Central Expenditure Audit
O/o Principal Director of Audit (Central)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद की लेखा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत हमने 31 मार्च 2022 तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के संलग्न तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है । 2021-22 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में गुवाहाटी और नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय केंद्रों का लेखा शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल सर्वोत्कृष्ट लेखांकन व्यवहारों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   i. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
   ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
   iii. हमारी राय में, संस्थान के वित्त उपनियम 31 के तहत आवश्यक लेखों की उचित बहियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को संस्थान द्वारा बनाए रखा गया है, यहाँ तक कि ऐसी बहियों की हमारे परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है।
   iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

लेखा पर टिप्पणियाँ:

क.1. समेकित तुलन पत्र

क.1.1 भंडार और अधिशेष - ₹99.58 करोड़

क.1.1.1भंडार/निक्षेप निधि मूल्य ह्रास - ₹37.07 करोड़ और भंडार/निक्षेप निधि मूल्य ह्रास - ₹56.42 करोड़ (ग्रामीण विकास मंत्रालय-एमओआरडी से प्राप्य)

संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2011-12 से अर्जित संपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के लिए निक्षेप निधि (2020-21) का गठन की। संस्थान की सभी संपत्ति जीआईए के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस निधि के निर्माण से पहले इन संपत्तियों पर मूल्यह्रास संबंधित वर्षों के आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया गया। इसके अलावा, मूल्यह्रास की निक्षेप निधि पद्धति का इस्तेमाल किए बिना अचल संपत्तियों के मूल्यह्रास को प्रभारित करने और तुलन पत्र में शुद्ध कुल परिसंपत्तियों के लेखांकन हेतु केंद्रीय स्वायत्त निकायों (गैर-लाभकारी संगठनों और इसी तरह के संस्थानों) के लिए वित्तीय विवरणों का प्रपत्र निर्धारित किया गया है। हालांकि, अनुबंध की इस पद्धति के उल्लंघन में, संस्थान ने निक्षेप निधि के निर्माण की नीति को गलत तरीके से अपनाया। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित हुआ:

- तुलन पत्र में (अनुसूची 8 के अनुसार) ₹ 33,16,40,432 की शुद्ध ब्लॉक संपत्तियों को दर्शाने के बजाय, संस्थान ने ₹77,97,44,451 की शुद्ध ब्लॉक संपत्तियों को दर्शाया जिसमें अचल संपत्ति सारणी के तहत छद्म/काल्पनिक संपत्ति के रूप में ₹44,81,04,019 की संचित मूल्यह्रास राशि शामिल थी और मूल्यह्रास भंडार निर्माण किया गया। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों के साथ-साथ भंडार और अधिशेष को ₹44.81 करोड़ से बढ़ाकर बताया गया।
- 31.03.2022 को ₹99,57,75,187 के निक्षेप निधि के अंत शेष के खिलाफ ₹47,46,08,766 की राशि गैर-नकद व्यय (मूल्यह्रास) का प्रतिनिधित्व करती है, जो वर्षों से संस्थान के अनुदानों पर प्रभारित की गई, निक्षेप निधि के रूप में दर्ज की गई और ₹52,11,66,421 शेष

राशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया था। अव्ययित अनुदान मंत्रालय को वापस किए जाने की आवश्यकता है। संस्थान ने खुलासा किया कि निक्षेप निधि निवेश के रूप में निवेश की राशि ₹41,00,00,000 है। चूंकि निक्षेप निधि के निर्माण के लिए भारत सरकार की मंजूरी नहीं थी, और भारत सरकार ने निक्षेप निधि के खिलाफ निवेश के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई थी, ऐसे निवेश अनियमित हैं और भारत सरकार को वापस करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, संस्थान के लेखा में अपर्याप्त पारदर्शिता है क्योंकि जो देयता मौजूद नहीं है उसे देयता (निक्षेप निधि) के रूप में दिखाया जा रहा है और संगठन की मौजूदा देयता (अव्ययित अनुदान) को मंत्रालय को वापस किए बिना विभिन्न निधि खातों में भेज दिया गया था।

निक्षेप निधि के सृजन के संबंध में निम्नलिखित कमियां भी देखी गई थीं:

i. अव्ययित सहायता अनुदान को निक्षेप निधि में उपयोग करने और ऐसी निधि के लिए प्राप्य राशि के रूप में लेखाकरण के लिए मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
ii. भारत सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि संस्थान की निक्षेप निधि के प्रति उसकी ओर से कोई देयता है।
iii. जिस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा भौतिक मूल्यांकन के बाद मौजूदा अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास रकम को पुनर्गठित करने के बजाय 1982 से संचित मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुए निक्षेप निधि की राशि ₹99,57,75,187 पर आ गई थी (जैसा कि एनआईआरडी से पता चला है कि 1982 से वार्षिक खातों की अचल संपत्ति तालिका मौजूद है), जो क्रम में नहीं है ।

क.1.2. चिन्हित निधियां-₹747.49 करोड़

क.1.2.1. जीएफआर 2017 के नियम 229 (v) के अनुसार, मंत्रालय या विभाग केवल वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति से एक स्वायत्त निकाय के लिए एक कॉर्पस फंड बनाने पर विचार कर सकता है यदि कॉर्पस बजटीय आवंटन से बनाया गया हो। यदि निकाय के आंतरिक उपार्जन से कॉर्पस निधि बनाया जाता है, तो प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

संस्थान ने लेखा टिप्पणियाँ में खुलासा किया कि आय और व्यय लेखा के अधिशेष को अनुसूची 1 के पूंजीगत कोष से हटा दिया गया और अनुसूची 3 में कॉर्पस फंड में जोड़ा गया। आय और व्यय लेखा का अधिशेष बजटीय आवंटन से बाहर था क्योंकि संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पूरी तरह से वित्तपोषित स्वायत्त निकाय है जैसा कि संस्थान ने लेखा टिप्पणियाँ (क्र. सं. च) में बताया है। इस प्रकार, 31.03.2022 को ₹377,11,58,426 के कॉर्पस फंड खाते के खिलाफ शेष राशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय को वापस करने की आवश्यकता है या कॉर्पस निधि बनाने के लिए मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

क.1.3. वर्तमान देनदारियां और प्रावधान-₹268.75 करोड़

क.1.3.1. केंद्रीय स्वायत्त निकायों (गैर-लाभकारी संगठनों और इसी तरह के संस्थानों) के लिए वित्तीय विवरण के रूप में, सरकार, सरकारी एजेंसियों, संस्थानों और अन्य एजेंसियों से अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि संस्था द्वारा कतिपय नियम एवं शर्तों के अनुपालन या विशिष्ट या चिन्हित प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए संस्था द्वारा बनाए रखे जाने के अध्यधीन है उन्हें चिन्हित निधियों के तहत दर्शाया जाना है। निधियों (पूंजी/राजस्व) के परिवर्धन और उपयोग के विवरण को अनुसूचियों में स्पष्ट रूप से इंगित करने की आवश्यकता है। संस्थान के स्कूल और केंद्र विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं/परामर्श कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। यह कहा गया था कि प्रायोजित परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं और एनआईआरडी को आवर्ती अनुदान के रूप में दिए गए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहायता अनुदान की निधि से शुरू की गई परियोजनाओं को छोड़कर सभी परियोजनाएं हैं। नाबार्ड, सिडबी, नासा आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा परामर्शी कार्यक्रमों का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, संस्थान प्रायोजक एजेंसियों के साथ महानिदेशक द्वारा सहमत नियमों और शर्तों पर परामर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन, परियोजना आदि का संचालन करता है। संस्थान प्रायोजक एजेंसी से शुल्क लेता है, ऐसे कार्यक्रमों/परियोजनाओं की लागत के लिए शुल्क और ऐसे परामर्श कार्य पर व्यय उसी से किया जाता है। इस प्रकार, ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त राशि को संस्थान की आय और किए गए भुगतान को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।

एनआईआरडीपीआर के वार्षिक लेखा के अनुसार, संस्थान द्वारा लगभग 200 परियोजनाएं (प्रायोजित और परामर्शी) शुरू की गई हैं। संस्थान को चालू वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से ₹29,14,79,279 की राशि प्राप्त हुई, जिसके विरुद्ध ₹45,31,52,105 का व्यय किया गया। चूंकि संगठन परामर्शी और प्रायोजित परियोजनाओं के बीच कोई अंतर नहीं करता है, और आय और व्यय लेखा में पूरी राशि नहीं लेते हुए लेखा टिप्पणियाँ में भी कोई खुलासा नहीं किया है, जो कि आय, व्यय को कम बताने और अधिशेष को अधिक बताने का प्रभाव है। यह पद्धति केंद्रीय स्वायत्त निकायों (गैर-लाभकारी संगठनों और समान संस्थानों) के वित्तीय विवरणों के अनुरूप भी नहीं है। एनआईआरडी को आवर्ती अनुदान के रूप में दिए गए एमओआरडी के सहायता अनुदान की निधियों में से शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए शुरू की गई परियोजनाएं, विभिन्न प्रायोजित/परामर्श परियोजनाओं के लिए संस्थान

द्वारा लगाए गए संस्थागत शुल्क और प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित संपत्तियों के संबंध में संस्थान की नीति लेखा टिप्पणियाँ /महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में उपयुक्त रूप से प्रकट नहीं किए गए थे।

क.1.3.2. परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान (ठ 3) - ₹149.30 करोड़

वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम (अनुसूची -11) के तहत ₹ 648.31 करोड़ की राशि प्रदर्शित की गई थी, जिसमें परियोजना एस-0520 "250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाना" के लिए ₹3,94,03,140 का व्यय शामिल था। वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची ए4) के तहत व्यय को गलत तरीके से शामिल करने के परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्ति ऋण और अग्रिम को अधिक बताया गया और परियोजना व्यय को ₹3,94,03,140 से कम दिखाया गया।

क.1.3.3. देनदारियां और प्रावधान - (एल 6) - ₹31.56 करोड़

1. 31.3.2017 को एस2237-अवर्गीकृत आरटीजीएस रसीद के तहत ₹3,67,45,636 की राशि प्रदर्शित की गई थी और 31.3.2022 को वही ₹4,75,63,131 थी, जो दर्शाता है कि संस्थान ने संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की राशि का मिलान नहीं किया था। संस्थान ने उत्तर दिया कि एनआईआरडीपीआर और एमओआरडी के विभिन्न केन्द्रों के साथ समन्वय में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्वीकृत आदेशों का पता लगाया जा सके और उसे संबंधित प्रायोजित परियोजना खातों में राशि जमा करने के लिए लेखा अनुभाग को जारी किया जा सके। यह वार्षिक खातों में पारदर्शिता की कमी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता को इंगित करता है क्योंकि 2017 में प्राप्त निधियां अभी भी समायोजन के लिए लंबित थीं। वार्षिक लेखा में भी इसका उपयुक्त रूप से खुलासा नहीं किया गया था।
2. एनआईआरडी दिल्ली से संबंधित 31.3.2021 को अन्य प्रावधानों (वेतन और प्रशासन) के तहत ₹74,36,065 की राशि दिखाई गई थी और संस्थान ने वर्ष 2021-22 के दौरान प्रावधान के विरुद्ध ₹52,66,777 का व्यय किया था। हालांकि, संस्थान ने किए गए व्यय को समायोजित किए बिना प्रावधान के रूप में ₹74,36,065 की उसी राशि को आगे बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष को परिणामत: कम और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹52.67 लाख से अधिक बताते हुए व्यय का लेखा नहीं दर्शाया गया।

क.2. आस्तियां - ₹1201.60 करोड़

क.2.1. नियत आस्तियां - ₹77.97 करोड़

क.2.1.1 इसमें सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली के फॉर्म सीपीडब्ल्यूए 65 के अनुसार पूरे किए गए ₹1,16,52,686[1] के विद्युत कार्यों का मूल्य शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप नियत आस्तियों को कम और चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों को ₹1.17 करोड़ से अधिक बताया गया।

क.2.2 चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि - ₹648.32 करोड़

क.2.2.1 यद्यपि वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹20,50,00,000 की सहायता अनुदान-वेतन के लिए स्वीकृति आदेश वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ था, यह राशि अप्रैल 2022 के महीने में एसबीआई खाते (संख्या 38831858496) में जमा की गई थी। प्राप्य के रूप में ₹20,50,00,000 की सहायता अनुदान के लिए लेखांकन के बजाय, संस्थान ने प्राप्ति और भुगतान खाते के तहत प्राप्तियों के रूप में गलत तरीके से हिसाब लगाया। इसके परिणामस्वरूप प्राप्तियों को अधिक बताया गया और प्राप्य अनुदानों को कम बताया गया।

क.2.2.2 संस्थान ने ₹264,17,19,415 की राशि का खुलासा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्य के रूप में भारत सरकार से प्राप्य के रूप में बिना किसी आश्वासन या भारत सरकार के आदेश के किया था कि यह उनके द्वारा भुगतान योग्य है। चूंकि भारत सरकार वार्षिक आधार पर अनुदान प्रदान करती है, जिसमें भारत सरकार से विशिष्ट अनुमोदन के बिना प्राप्त होने वाली राशि का खुलासा करना पेंशन संबंधी लाभों के लिए सही नहीं है।

क.2.2.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संस्थान की निवेश नीति का प्रकट नहीं किया गया था। इसके अलावा, संस्थान ने पंजीकृत प्राथमिक डीलरों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया। वार्षिक लेखा में प्रतिभूतियों के लेखांकन के आधार का भी उपयुक्त रूप से खुलासा नहीं किया गया था। निवेश नीति का खुलासा न करने के कारण, वार्षिक लेखा में पारदर्शिता की कमी है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- ₹ 4,88,73,085 की सरकारी प्रतिभूतियों पर उपार्जित ब्याज को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप निधि लेखा के साथ-साथ कॉर्पस फंड निवेश को ₹4,88,73,085 की सीमा तक कम बताया गया।

[1](i) नवीनीकरण और मरम्मत कार्य जनकपुरी, नई दिल्ली: ₹82,33,268; (ii) कपार्ट में अतिरिक्त नवीनीकरण कार्य: ₹18,15,332 और (iii) कपार्ट बिल्डिंग, जनकपुरी, नई दिल्ली में सम्मेलन कक्ष में संबंधित उपकरणों के साथ ऑडियो सिस्टम का एसआईटीसी

ख.1. आय - ₹138.33 करोड़

ख.1.1 एनईआरसी, गुवाहाटी से संबंधित तीन समाप्त "परामर्श परियोजनाओं" के तहत उपलब्ध ₹26,88,528[2] की अधिशेष राशि को एनईआरसी के साथ पुनर्मिलान न करने के कारण आय के रूप में हिसाब में नहीं लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस फंड की परिणामी कमी और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹26,88,528 से अधिक करके आय का कम लेखा-जोखा हुआ।

ख.1.2. एस2528-एएपी-प्रशिक्षण-क्षमता निर्माण - मनरेगा (अनुसूची 14-क) के तहत संस्थागत शुल्कों के लिए ₹12,10,45,549 की राशि वसूल की जानी है, जबकि ₹10,44,48,911 को केवल आय के रूप में हिसाब में लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस फंड की परिणामी कमी और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹ 1,65,96,638 से अधिक करके आय का कम लेखा-जोखा हुआ।

ख.1.3 ₹49,57,780 की राशि जो परियोजना "250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना" से संबंधित संस्थागत शुल्क थी, को संस्थान की आय के रूप में नहीं माना गया था। चूक के परिणामस्वरूप अधिशेष (कॉर्पस फंड) के परिणामी न्यूनोक्ति के साथ आय का कम लेखा-जोखा हुआ और वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधानों को ₹49,57,780 से अधिक बताया गया।

ख.2. व्यय- ₹113.35 करोड़

ख.2.1 विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु अग्रिम के रूप में दी गई ₹ 16.25 लाख की राशि को अनुसूची 21-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (05.01 से 05.09) के अन्तर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक बताया गया और ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि को ₹ 16.25 लाख से कम दर्शाया गया।

ग. सामान्य

ग.1 उचंत खाते के तहत रखी गई राशि के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अनुसूची का विवरण	समूह विवरण	उचंत खाते में रखी गई राशि
परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान (एल-3) क्र.सं. 112, ए/एसी का पृष्ठ 12	एस0117 एस-यूएनडीपी उचंत	(-) 9,17,637
परामर्शी देयताएं (एल-5) क्र.सं.04	सी0272 मानदेय उचंत	10,92,855
देनदारियां और प्रावधान (एल-6) क्र. सं. 13 और क्र. सं. 27	जीएसटी उचंत	1,47,51,556
	दिल्ली शाखा उचंत	1,76,802
चालू आस्तियां और अग्रिम (ए-4) क्र. सं. 1	आरसी एनईआरसी - उचंत	65,33,016

ग.2 संस्थान ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रबंधन पत्र में शामिल निम्नलिखित टिप्पणियों पर कार्रवाई नहीं की (प्रबंधन पत्र में उल्लेखित लगातार अनियमितता - अनुलग्नक का भाग - क):

(क) अनुसूची 3-चिन्हित निधि (viii) - परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान के तहत ₹0.21 करोड़ की राशि को डीडीयू-जीकेवाई परियोजना (क्रम संख्या 174 एल-6) के प्रारंभिक शेष और अंत शेष में गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चिन्हित निधि को अधिक बताया गया और चालू आस्तियों को ₹0.21 करोड़ तक कम दिखाया गया।

(ख) 31 मार्च 2021 तक ₹41.46 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदानों का मिलान नहीं किया गया था।

(ग) विविध लेनदारों (31.3.2016 के बाद से) के तहत तुलन पत्र के देनदारियों के पक्ष में दिखाए गए भविष्य निधि खाते के संबंध में ₹5,01,514 की अंत शेष (31.03.2021) राशि का विवरण मिलान के लिए आवश्यक है

(घ) 31.03.2020 को चिकित्सा कॉर्पस निधि में स्टाफ और पेंशनरों से प्राप्त सदस्यता को ₹33,46,200 के रूप में दिखाया गया था जबकि प्राप्त वास्तविक सदस्यता ₹44,74,000 थी। इसमें मिलान करने की आवश्यकता है (2019-20) ।

(ङ) यद्यपि पिछली लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, संस्थान ने बैंक खाते में क्रेडिट किए गए अनुदानों को अलग नहीं किया था, इसके कारण अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज का बही खाते में इंगित राशि के साथ मिलान नहीं किया जा सका।

(i) बीआरजीएफ-मेघालय-आरसी का मूल्यांकन अध्ययन (₹37,487/-), (ii) मछली और अंजीर किसान (मेघालय)-आरसी (₹25,77,107/-) और (iii) एसआईआरडी राजस्थान द्वारा प्रदर्शन दौरा (₹73,934/-)

ग.3 कपार्ट सीपीएफ खाते से संबंधित इंडियन ओवरसीज बैंक खाता संख्या 149801000027111 के ₹5,43,558.68 के बैंक शेष को भविष्य निधि खाते में शामिल नहीं किया गया था। इसमें पुनरीक्षण और सुधार की आवश्यकता है।

ग.4 चालू आस्तियों और अग्रिमों के तहत आरसी-एनईआरसी उचंत खाता होने के नाते ₹99,15,275 की राशि में क्षेत्रीय केंद्रों की प्राप्तियां और भुगतान शामिल हैं जिन्हें 2017-18 के बाद से अंकित नहीं किया जा सका क्योंकि लेन-देन की प्रकृति और प्रभाव वार्षिक लेखा की संबंधित अनुसूचियों के तहत पोस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं थे।

ग.5 (i) एस0221 आरयूडीसेटी के अंतर्गत आरसेटी के लिए ईआरपी का विकास और (ii) एस1916 यूबीए-एमएचआरडी-सीपीएमई पर मूल्यांकन परियोजनाओं के संबंध में संस्थागत शुल्क नहीं लगाया गया था। विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए संस्थागत प्रभारों के प्रभारण और लेखांकन के संबंध में संस्थान की नीति भी वार्षिक लेखाओं में उपयुक्त रूप से प्रकट नहीं की गई थी।

घ. अनुदान सहायता: वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹105.48 करोड़ (₹23.98 करोड़-सामान्य और ₹81.50 करोड़-वेतन) के सहायता अनुदान में से, एनआईआरडीपीआर ने ₹100.12 करोड़ की राशि का उपयोग किया और 31 मार्च 2022 तक ₹5.36 करोड़ की शेष राशि का उपयोग नहीं किया गया।

ङ. प्रबंधन पत्र:

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के ध्यान में लाया गया है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कथित वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियाँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के साथ पढ़ें, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करें।

(क) जहां तक यह 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; और
(ख) जहां तक कि यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।

अनिंद्य गुप्ता
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), हैदराबाद

परिशिष्ट

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:** संस्थान में कोई अलग आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। वर्ष 2021-22 के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म, मैसर्स श्रीनिवास राव एंड कंपनी द्वारा संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी ।
2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:** आंतरिक नियंत्रण निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त थे:

i. संस्थान के पास कॉर्पस फंड के अलावा कोई अन्य निवेश नीति नहीं है। बचत खाते में बिना निवेश किए बड़ी राशि जमा कर दी गई, जिससे ब्याज की हानि हुई।
ii. उचंत खातों के तहत महत्वपूर्ण राशि दिखाई गई।
iii. आरटीजीएस रसीद के तहत महत्वपूर्ण राशियां दिखाई गईं जो अवर्गीकृत थीं।
iv. परामर्शदात्री परियोजनाओं में से अधिकांश को बंद कर दिया गया और देयताओं के रूप में दर्शाया गया।
v. पूंजीगत अनुदान (योजना) विभिन्न बैंक खातों में रखा गया था। अलग बैंक खाता नहीं बनाया गया था। इस प्रकार, सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज का सत्यापन नहीं किया जा सका।
vi. निष्क्रिय बैंक खातों को बंद नहीं किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान तेरह (13) बचत बैंक खातों में कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया। तेरह बैंक खातों में से दस बैंक खातों में शेष राशि ₹1,03,86,031 थी।
vii. समेकित अचल संपत्ति रजिस्टर, निक्षेप निधियों का रजिस्टर नहीं बनाया गया था।
viii. एनआईआरडीपीआर के 640 (31.3.2022 को) स्वीकृत कर्मचारियों में से 285 पुरुष कार्यरत हैं और यह पता चला कि लेखा अनुभाग में 3 लेखा अधिकारी थे और 10 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर नियुक्त थे जिनके पास एक वर्ष से कम का अनुभव था। इसके अलावा, हालांकि टैली में मुख्य खातों का रखरखाव किया गया था, संस्थान कई स्प्रेडशीट में डेटा को बनाए रख रहा है, जिन्हें ठीक से एकीकृत नहीं किया जा रहा है क्योंकि संस्थान द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की गई थीं जिन्हें अलग-अलग अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से संभाला गया था और उन लेनदेन को टैली पैकेज के माध्यम से नहीं किया गया था। अपर्याप्त स्टाफ, अपर्याप्त लेखांकन अभ्यास और खातों के गैर-एकीकरण से खातों के रखरखाव में मैन्युअल त्रुटियां होती हैं।

3. **अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** मार्च 2022 के अंत तक आरटीपी, एवी लैब्स, छात्रावास और पुस्तकालय भवन के संबंध में अचल संपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी। अन्य स्कूलों एवं अनुभागों का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, वार्षिक लेखाओं में उल्लेखित परिसम्पत्तियों की अनुसूची में इंगित मदों के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन पर समेकित रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।
4. **सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** वर्ष 2021-22 की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया।
5. **सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता:** संस्थान सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमित है।

Ch.V.Saiprasad

(सीएच.वी. साई प्रसाद)
निदेशक / केन्द्रीय व्यय लेखापरीक्षा
लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय (केन्द्रीय)

31 **मार्च** 2022 **को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**, **हैदराबाद के लेखों पर सी एवं एजी की अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जवाब**

लेखापरीक्षा पैरा का सार	**संस्थान का उत्तर**
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत हमने 31 मार्च 2022 तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के संलग्न तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है । 2021-22 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में गुवाहाटी और नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय केंद्रों का लेखा शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।	कोई टिप्पणी नहीं
2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल सर्वोत्कृष्ट लेखांकन व्यवहारों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।	कोई टिप्पणी नहीं
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
i. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;	कोई टिप्पणी नहीं
ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
iii. हमारी राय में, संस्थान के वित्त उपनियम 31 के तहत आवश्यक लेखों की उचित बहियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को संस्थान द्वारा बनाए रखा गया है, यहाँ तक कि ऐसी बहियों की हमारे परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि: **लेखा पर टिप्पणियाँ:** **क.समेकित तुलन पत्र**	

जारी...

क.1. भंडार और अधिशेष - ₹99.58 करोड़

क.1.1. भंडार/निक्षेप निधि मूल्य ह्रास - ₹37.07 करोड़ और भंडार/निक्षेप निधि मूल्य ह्रास - ₹56.42 करोड़ (ग्रामीण विकास मंत्रालय-एमओआरडी से प्राप्य)

संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2011-12 से अर्जित संपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के लिए निक्षेप निधि (2020-21) का गठन की। संस्थान की सभी संपत्ति जीआईए के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस निधि के निर्माण से पहले इन संपत्तियों पर मूल्यह्रास संबंधित वर्षों के आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया गया। इसके अलावा, मूल्यह्रास की निक्षेप निधि पद्धति का इस्तेमाल किए बिना अचल संपत्तियों के मूल्यह्रास को प्रभारित करने और तुलन पत्र में शुद्ध कुल परिसंपत्तियों के लेखांकन हेतु केंद्रीय स्वायत्त निकायों (गैर-लाभकारी संगठनों और इसी तरह के संस्थानों) के लिए वित्तीय विवरणों का प्रपत्र निर्धारित किया गया है। हालांकि, अनुबंध की इस पद्धति के उल्लंघन में, संस्थान ने निक्षेप निधि के निर्माण की नीति को गलत तरीके से अपनाया। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित हुआ:

- तुलन पत्र में (अनुसूची 8 के अनुसार) ₹ 33,16,40,432 की शुद्ध ब्लॉक संपत्तियों को दर्शाने के बजाय, संस्थान ने ₹77,97,44,451 की शुद्ध ब्लॉक संपत्तियों को दर्शाया जिसमें अचल संपत्ति सारणी के तहत छद्म/काल्पनिक संपत्ति के रूप में ₹44,81,04,019 की संचित मूल्यह्रास राशि शामिल थी और मूल्यह्रास भंडार निर्माण किया गया। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों के साथ-साथ भंडार और अधिशेष को ₹44.81 करोड़ से बढ़ाकर बताया गया।

- 31.03.2022 को ₹99,57,75,187 के निक्षेप निधि के अंत शेष के खिलाफ ₹47,46,08,766 की राशि गैर-नकद व्यय (मूल्यह्रास) का प्रतिनिधित्व करती है, जो वर्षों से संस्थान के अनुदानों पर प्रभारित की गई, निक्षेप निधि के रूप में दर्ज की गई और ₹52,11,66,421 शेष राशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया था। अव्ययित अनुदान मंत्रालय को वापस किए जाने की आवश्यकता है। संस्थान ने खुलासा किया कि निक्षेप निधि निवेश के रूप में निवेश की राशि ₹41,00,00,000 है। चूंकि निक्षेप निधि के निर्माण के लिए भारत सरकार की मंजूरी नहीं थी, और भारत सरकार ने निक्षेप निधि के खिलाफ निवेश के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई थी, ऐसे निवेश अनियमित हैं और भारत सरकार को वापस करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, संस्थान के लेखा में अपर्याप्त पारदर्शिता है क्योंकि जो देयता मौजूद नहीं है उसे देयता (निक्षेप निधि) के रूप में दिखाया जा रहा है और संगठन की मौजूदा देयता (अव्ययित अनुदान) को मंत्रालय को वापस किए बिना विभिन्न निधि खातों में भेज दिया गया था।

निक्षेप निधि के सृजन के संबंध में निम्नलिखित कमियां भी देखी गई थीं:

i. अव्ययित सहायता अनुदान को निक्षेप निधि में उपयोग करने और ऐसी निधि के लिए प्राप्य राशि के रूप में लेखाकरण के लिए मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
ii. भारत सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि संस्थान की निक्षेप निधि के प्रति उसकी ओर से कोई देयता है।

एनआईआरडीपीआर लेखों के समान प्रारूप के अनुसार आय और व्यय खाते में मूल्यह्रास वसूल रहा है और इसे एक दशक से अधिक समय से मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों में शामिल किया गया था। 2019-20 में, संचित अवमूल्यन को निर्धारित निधि की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बिल्डिंग फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था, ताकि बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार के लिए प्रदान किया जा सके। मूल्यह्रास की स्वीकृत पद्धति का अनुपालन करने के लिए, परिसंपत्ति नवीनीकरण के लिए इन फंडों को वित्त वर्ष 2020-21 में बिल्डिंग फंड से विभाजित किया गया था और एसएच के तहत प्रदर्शित किया गया था। 3 एक सस्पेंस बनाकर धनराशि निर्धारित की गई और खातों के नोट्स (पैरा-टी) में यह उल्लेख किया गया था कि यह सस्पेंस वित्त वर्ष 2021-2022 में साफ़ हो जाएगा। इसके बाद, वित्त वर्ष 2021-2022 में मामले की समीक्षा के बाद इस सस्पेंस में राशि को 'रिजर्व और अधिशेष' शीर्षक के तहत प्रदर्शित किया गया था ताकि यह दर्शाया जा सके कि ये मूल्यह्रास संपत्तियों के नवीनीकरण के लिए आरक्षित हैं। इससे मूल्यह्रास आरक्षित का समेकन हुआ। इस उपाय ने इन अलग-अलग खातों की अलग-अलग मात्रा दिखाकर, खातों की किताबों में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद की। अतः शोधन/मूल्यह्रास निधि के रूप में कोई अलग फंड नहीं बनाया गया था।

यह पद्धति लेखांकन मानक 6 और जीएफआर के अनुसार है और खातों और पिछले अभ्यास के बीच स्थिरता लाती है। आईआईएम लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि जैसे केंद्रीय स्वायत्त संगठनों में मूल्यह्रास (डूबने) निधि आदि के रूप में यही पद्धति अपनाई जा रही है।

गैर-लाभकारी संगठनों के खातों के संकलन के लिए निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों के तहत पैरा 7 में यह उल्लेख किया गया है कि मूल्यह्रास प्रदान करने के माध्यम से रखी गई कोई भी राशि यदि उस राशि से अधिक है जिसे इस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक माना जाता है तो उसे आरक्षित माना जाएगा और प्रावधान के रूप में नहीं.

जैसा कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 (पैरा-टी) के खातों के नोटों में उल्लेख किया गया है, बिल्डिंग फंड में अनजाने में हस्तांतरित की गई 35.15 करोड़ रुपये की राशि को निर्धारित फंडों के तहत मूल्यह्रास सस्पेंस में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो देनदारियां हैं और तदनुसार समान राशि को परिसंपत्तियों और देनदारियों को संतुलित करने के लिए अचल संपत्तियॉ जोड़ दी गई थी।

संचित मूल्यह्रास रिजर्व, राशि को अलग से वर्गीकृत करते समय, लेखा पदाधिकारियों द्वारा की गई समीक्षा से संकेत मिलता है कि मूल्यह्रास संपत्तियों की पूरी तरह से भरपाई करने के लिए 56.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शेष राशि प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसा कि एनआईआरडीपीआर में एक दशक से अधिक पुरानी पद्धति है।

जारी...

iii. जिस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा भौतिक मूल्यांकन के बाद मौजूदा अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास रकम को पुनर्गठित करने के बजाय 1982 से संचित मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुए निक्षेप निधि की राशि ₹99,57,75,187 पर आ गई थी (जैसा कि एनआईआरडी से पता चला है कि 1982 से वार्षिक खातों की अचल संपत्ति तालिका मौजूद है), जो क्रम में नहीं है ।	इस प्रकार मूल्यह्रास रिज़र्व को निर्धारित निधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, बल्कि केवल रिज़र्व और अधिशेष में शामिल किया गया है, ताकि इस खाते की उचित प्रकृति को सही ढंग से दर्शाया जा सके। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि एक अलग फंड बनाया गया है। आगे, एनआईआरडीपीआर वित्तीय उपनियमों के उपनियम 37 के अनुसार: इसके बाद ऑडिटर संस्थान के खातों पर एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें ऑडिट किए गए खाते भी शामिल होंगे, जिसमें संस्थान की वित्तीय स्थिति और उनके ऑडिट के परिणामों पर ऐसी सामान्य या विशेष टिप्पणियाँ शामिल होंगी, जिन्हें वे आवश्यक समझ सकते हैं। फिर वे तथ्यों की स्वीकृति के लिए संस्थान के महानिदेशक को अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिखाएंगे। हालांकि इस नियम के अनुसार ऑडिट में बताया गया था कि उनकी जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत थी, ऑडिट इस तथ्यात्मक रूप से गलत बयान को सही करने में विफल रहा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संचित मूल्यह्रास राशि को वित्त वर्ष 2020-2021 में एक उचंत में रखा गया था जिसे बाद में वित्त वर्ष 2021-2022 में 'आरक्षित और अधिशेष' में ले जाया गया था। इसलिए, कोई अलग फंड नहीं बनाया गया। इसके अलावा एनआईआरडीपीआर के एमओए के नियम 4 (जे) में निम्नलिखित प्रावधान हैं: जे) रिजर्व निधि, शोधन निधि, बीमा निधि, टेक्नोलॉजी निधि या कोई अन्य विशेष फंड बनाएं, चाहे वह सोसायटी की किसी भी संपत्ति या अधिकार के मूल्यह्रास, मरम्मत सुधार, विस्तार या रखरखाव के लिए हो और/या बर्बाद हो रही संपत्ति की भरपाई के लिए हो या किसी अन्य के लिए हो। अन्य उद्देश्य जिनके लिए सोसाइटी संस्था की विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए ऐसे किसी निधि/निधि को बनाना या बनाए रखना समीचीन या उचित समझती है। खातों में देय राशि अंकित होने के बावजूद इस मद में अनुदान समायोजित नहीं किया गया। मूल्यह्रास आरक्षित का मतलब मूल्यह्रास संपत्तियों की भरपाई के लिए एक आरक्षित है और इस उद्देश्य के लिए राशियाँ केवल 2010-2011 से जमा की जा रही थीं। हालाँकि, अधिकांश एनआईआरडीपीआर संपत्तियाँ इस अवधि से बहुत पहले बनाई गई थीं। इसलिए, मूल्यह्रास आरक्षित प्रदान करने की वर्षों पुरानी स्वीकृत पद्धति के अनुरूप, 1982 के बाद से बनाई गई परिसंपत्तियों की पूर्ण पुनःपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए देय राशि पर काम किया गया था, जिसके बिना मूल्यह्रास आरक्षित मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की पूर्ति के अपने पूर्ण उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा।।
क.1.2. चिन्हित निधियां-₹747.49 करोड़ **क.1.2.1.** जीएफआर 2017 के नियम 229 (v) के अनुसार, मंत्रालय या विभाग केवल वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति से एक स्वायत्त निकाय के लिए एक कॉर्पस फंड बनाने पर विचार कर सकता है यदि कॉर्पस बजटीय आवंटन से बनाया गया हो। यदि निकाय के आंतरिक उपार्जन से कॉर्पस निधि बनाया जाता है, तो प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।	जीएफआर 2005 नियम 208 के अनुसार नियम 206 (ए) के तहत संदर्भित स्वायत्त संगठनों की स्थापना के लिए सामान्य सिद्धांत: (iii) सभी स्वायत्त संगठनों, नए या पहले से ही अस्तित्व में हैं, उन्हें आंतरिक संसाधनों के सृजन को अधिकतम करने और अंततः आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जारी...

संस्थान ने लेखा टिप्पणियाँ में खुलासा किया कि आय और व्यय लेखा के अधिशेष को अनुसूची 1 के पूंजीगत कोष से हटा दिया गया और अनुसूची 3 में कॉर्पस फंड में जोड़ा गया। आय और व्यय लेखा का अधिशेष बजटीय आवंटन से बाहर था क्योंकि संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पूरी तरह से वित्तपोषित स्वायत्त निकाय है जैसा कि संस्थान ने लेखा टिप्पणियाँ (क्र. सं. च) में बताया है। इस प्रकार, 31.03.2022 को ₹377,11,58,426 के कॉर्पस फंड खाते के खिलाफ शेष राशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय को वापस करने की आवश्यकता है या कॉर्पस निधि बनाने के लिए मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।	कॉर्पस निधि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा 02-08-2008 को आयोजित 105वीं बैठक में बनाया गया था; जीएफआर 2005 स्वायत्त संगठनों में कॉर्पस फंड के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑडिट पैरा जीएफआर 2017 का हवाला दे रहा है जो कॉर्पस निधि के निर्माण के बहुत बाद यानी 02.08.2008 को जारी किया गया था। **एनआईआरडीपीआर का कॉर्पस निधि** संस्थान के **आंतरिक रूप से उत्पन्न राजस्व (आईजीआर)** से बनाया गया है। एनआईआरडीपीआर के पास आय के विविध स्रोत हैं जिनमें विभिन्न संगठनों की परियोजनाओं से आय और छात्रों और संगठनों के लिए इसकी प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों से आय शामिल है। चूंकि एनआईआरडीपीआर के पास 2008 से ही एक कॉर्पस निधि है, कुछ अन्य केंद्रीय स्वायत्त निकायों के विपरीत, जिनके पास केवल पूंजीगत निधि है, एनआईआरडीपीआर के आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों का शुद्ध हिस्सा कॉर्पस फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह इन संसाधनों को कैपिटल निधि के माध्यम से कॉर्पस निधि में स्थानांतरित करने के घुमावदार मार्ग को न अपनाकर अधिक पारदर्शिता और सरलीकरण के उपाय के रूप में किया गया था, जैसा कि पिछले वर्षों में प्रचलन था। इसके अलावा, इससे इन संसाधनों की त्वरित तैनाती के माध्यम से उनके निवेश मूल्य को सुरक्षित करने में भी मदद मिली। एनआईआरडीपीआर के कॉर्पस निधि का बारह वर्षों से अधिक समय से सीएजी द्वारा ऑडिट किया जा रहा है और इसके गठन या प्रबंधन में कोई कमी नहीं पाई गई है। बारह वर्षों में इन ऑडिट के दौरान, कोई भी सीएजी ऑडिट पैरा नहीं आया है कि कॉर्पस निधि बजटीय आवंटन से बना है। केवल इसलिए कि एनआईआरडीपीआर एक केंद्रीय स्वायत्त संस्थान है, यह नहीं कहा जा सकता है कि आय और व्यय का अधिशेष बजटीय स्रोतों से आता है, क्योंकि एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से बजट आवंटन से परे आय के विविध स्रोत हैं। कॉर्पस निधि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा 02-08-2008 को आयोजित 105वीं बैठक में बनाया गया था; और कॉर्पस निधि के निवेश को समय-समय पर ईसी द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें सचिव और वरिष्ठ एमओआरडी अधिकारी शामिल थे। कॉर्पस फंड प्रबंधन समिति (सीएफएमसी) का गठन आरडी मंत्री की अध्यक्षता में ईसी की मंजूरी के साथ किया गया था, और सीएफएमसी के दो सदस्यों को कॉर्पस फंड में पड़ी राशि की प्रभावी निगरानी और निवेश के लिए मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है। सीएफएमसी और निवेश के सभी निर्णयों को पहले माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली कार्यकारी परिषद और अब सचिव, एमओआरडी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। वित्त मंत्रालय की रतन वट्टल समिति ने सुझाव देते हुए कहा कि संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि एनआईआरडी के पास दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक कॉर्पस निधि है। समिति की सिफारिशें वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के अधीन हैं। इसलिए, कॉर्पस निधि का निर्माण और प्रबंधन आंतरिक रूप से उत्पन्न स्रोतों से पारदर्शी और अच्छी तरह से लेखांकन तरीके से किया गया था।

जारी...

क.1.3. वर्तमान देनदारियां और प्रावधान-₹268.75 करोड़

क.1.3.1. केंद्रीय स्वायत्त निकायों (गैर-लाभकारी संगठनों और इसी तरह के संस्थानों) के लिए वित्तीय विवरण के रूप में, सरकार, सरकारी एजेंसियों, संस्थानों और अन्य एजेंसियों से अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि संस्था द्वारा कतिपय नियम एवं शर्तों के अनुपालन या विशिष्ट या चिन्हित प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए संस्था द्वारा बनाए रखे जाने के अध्यधीन है उन्हें चिन्हित निधियों के तहत दर्शाया जाना है। निधियों (पूंजी/ राजस्व) के परिवर्धन और उपयोग के विवरण को अनुसूचियों में स्पष्ट रूप से इंगित करने की आवश्यकता है।

संस्थान के स्कूल और केंद्र विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं/ परामर्श कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। यह कहा गया था कि प्रायोजित परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं और एनआईआरडी को आवर्ती अनुदान के रूप में दिए गए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहायता अनुदान की निधि से शुरू की गई परियोजनाओं को छोड़कर सभी परियोजनाएं हैं। नाबार्ड, सिडबी, नासा आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा परामर्शी कार्यक्रमों का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, संस्थान प्रायोजक एजेंसियों के साथ महानिदेशक द्वारा सहमत नियमों और शर्तों पर परामर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन, परियोजना आदि का संचालन करता है। संस्थान प्रायोजक एजेंसी से शुल्क लेता है, ऐसे कार्यक्रमों/परियोजनाओं की लागत के लिए शुल्क और ऐसे परामर्श कार्य पर व्यय उसी से किया जाता है। इस प्रकार, ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त राशि को संस्थान की आय और किए गए भुगतान को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।

एनआईआरडीपीआर के वार्षिक लेखा के अनुसार, संस्थान द्वारा लगभग 200 परियोजनाएं (प्रायोजित और परामर्शी) शुरू की गई हैं। संस्थान को चालू वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से ₹29,14,79,279 की राशि प्राप्त हुई, जिसके विरुद्ध ₹45,31,52,105 का व्यय किया गया। चूंकि संगठन परामर्शी और प्रायोजित परियोजनाओं के बीच कोई अंतर नहीं करता है, और आय और व्यय लेखा में पूरी राशि नहीं लेते हुए लेखा टिप्पणियाँ में भी कोई खुलासा नहीं किया है, जो कि आय, व्यय को कम बताने और अधिशेष को अधिक बताने का प्रभाव है। यह पद्धति केंद्रीय स्वायत्त निकायों (गैर -लाभकारी संगठनों और समान संस्थानों) के वित्तीय विवरणों के अनुरूप भी नहीं है। एनआईआरडी को आवर्ती अनुदान के रूप में दिए गए एमओआरडी के सहायता अनुदान की निधियों में से शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए शुरू की गई परियोजनाएं, विभिन्न प्रायोजित/परामर्श परियोजनाओं के लिए संस्थान द्वारा लगाए गए संस्थागत शुल्क और प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित संपत्तियों के संबंध में संस्थान की नीति लेखा टिप्पणियाँ /महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में उपयुक्त रूप से प्रकट नहीं किए गए थे।

अनुदान और विशिष्ट निधियों का अलग-अलग लेखा रखा जाता है। सहायता अनुदान वेतन और सामान्य शीर्षों के तहत प्राप्त किया जाता है और तदनुसार, उन्हें आय और व्यय खाते में दर्ज किया जाता है। वार्षिक आधार पर अनुदान जारी करने में इन शीर्षों में प्रारंभिक शेष राशि को ध्यान में रखा जाता है और वर्ष के दौरान इन शीर्षों के तहत व्यय पैटर्न को ध्यान में रखते हुए शेष राशि और धन की आवश्यकता पर उचित विचार करने के बाद अनुदान जारी किया जाता है।

गैर-लाभकारी संगठन के लिए खातों के समान प्रारूप में, परियोजना आधारित व्यय के लिए आय और व्यय विवरण में कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि परियोजना आधारित व्यय के लिए ऐसा प्रावधान खातों के समान प्रारूप की प्राप्तियों और भुगतान अनुसूची में मौजूद है। तदनुसार, प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियों और भुगतानों को प्राप्तियों और भुगतान अनुसूची में दर्ज किया गया है और उसका शुद्ध लाभ आय और व्यय विवरण में प्रदर्शित किया गया है।

अनुदान के लिए वेतन और खातों के सामान्य शीर्षों का यह वर्गीकरण खातों के समान प्रारूप के अनुरूप है और आमतौर पर केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा इसका पालन किया जाता है।

यह कहा गया है कि:

क. प्रत्येक प्रायोजित परियोजना के लिए प्राप्त धनराशि और ऐसी परियोजना के लिए किए गए भुगतान को भारतीय लेखांकन मानकों में निर्धारित मानक लेखांकन अभ्यास के अनुसार प्राप्तियों और भुगतान खाते में दर्ज किया जाता है।

ख. जैसा कि सर्वविदित है, आय प्राप्तियों और भुगतानों का अवशेष है। आय = प्राप्तियाँ - भुगतान। प्रायोजित परियोजनाओं में, धनराशि प्राप्त होने के बाद, उसे विशिष्ट टैली लेजर में जमा किया जाता है और सभी भुगतान उस लेजर में डेबिट किए जाते हैं। परियोजना के पूरा होने के बाद, प्राप्तियों और किए गए भुगतानों को आय के रूप में लिया जाता है और आय और व्यय विवरण में दर्ज किया जाता है। यह खातों के समान प्रारूप के अनुरूप है और एनआईआरडीपीआर ने आय और व्यय विवरण में प्रमुख उपयोगकर्ता शुल्क/ प्रायोजित परियोजना प्राप्तियों के तहत खातों में प्रदर्शित किया है।

ग. एनआईआरडीपीआर के पास वर्ष की शुरुआत में 121 प्रायोजित परियोजनाएं थीं और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में 130 परियोजनाएं थीं। वित्तीय वर्ष के दौरान 13 नई परियोजनाएं शुरू की गईं।

घ. जबकि सीएजी द्वारा दर्शाई गई प्राप्तियां वर्ष के दौरान नई प्राप्तियां हैं, दर्शाया गया उच्च व्यय, नई प्राप्तियों और जारी परियोजनाओं की मौजूदा निधि दोनों के विरुद्ध है।

ई. एनआईआरडीपीआर परियोजना के पूरा होने तक प्रत्येक परियोजना खाते में प्राप्त धनराशि में से निरंतर आधार पर व्यय करता है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित केंद्र प्रमुख द्वारा परियोजना के पूरा होने की पुष्टि करने पर, परियोजना प्रमुख के तहत शेष किसी भी अधिशेष को परियोजना से अधिशेष माना जाता है और परियोजना से आय के रूप में आय और व्यय विवरण में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रथा लेखांकन सिद्धांत के अनुसार है कि आय = प्राप्तियाँ - भुगतान। ऐसी प्रथा भारतीय लेखांकन मानकों और खातों के समान प्रारूप के अनुरूप है।

च. इसलिए, परियोजनाओं से अधिशेष का कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा कि ऑडिट पैरा में बताया गया है, अधिशेष की गणना आय और व्यय के शुद्ध के रूप में की जानी है, जिन्हें कम करके बताया गया है। एसएआर में उल्लिखित कम आय और व्यय के इस परिदृश्य में, अधिशेष के अधिक विवरण की तार्किक रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है।

छ. जारी परियोजनाओं के मामले में, प्राप्तियां और भुगतान संबंधित बहीखातों में जमा/डेबिट किए जाते हैं और प्रत्येक बहीखाता की शुद्ध राशि या तो देयता (प्रत्येक बहीखाता के शुद्ध क्रेडिट शेष के मामले में) या संपत्ति (शुद्ध डेबिट शेष के मामले में) के रूप में परिलक्षित होती है। प्रत्येक बही का) बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार और खातों की पुस्तकों का सही और निष्पक्ष दृश्य दिखाने के लिए सही ढंग से प्रतिबिंबित किया गया है।

जारी...

	प्रायोजित परियोजनाओं से निर्मित परिसंपत्तियों पर लेखांकन अभ्यास का खुलासा 2022-23 के खातों के नोट्स में किया गया है। संस्थान के वार्षिक खातों को संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें सहायता अनुदान और प्रायोजक स्रोतों से ली गई परियोजनाओं का विवरण शामिल है।
क.1.3.2 परियोजनाओं से विशिष्ट अनुदान (एल 3) - 149.30 करोड़ रुपये वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम (अनुसूची -11) के तहत ₹ 648.31 करोड़ की राशि प्रदर्शित की गई थी, जिसमें परियोजना एस-0520 "250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाना" के लिए ₹3,94,03,140 का व्यय शामिल था। वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची ए4) के तहत व्यय को गलत तरीके से शामिल करने के परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्ति ऋण और अग्रिम को अधिक बताया गया और परियोजना व्यय को ₹3,94,03,140 से कम दिखाया गया।	लेन-देन में आसानी के लिए, कुछ व्यय एनआईआरडीपीआर सामान्य खाते से किए जाते हैं। 'पीएफएमएस3617 एस0520 250 मॉडल जीपी क्लस्टर्स' के लिए एक अलग बैंक खाता है और उपरोक्त परियोजना के लिए एक अलग टैली समूह संचालित है। वार्षिक लेखा 2021-22 को अंतिम रूप देने की तिथि पर, अनुसूची के ए4 सामान्य खाता और परियोजना ट्रांजिट खाता संबंधित प्रायोजित परियोजना को अलग बैंक खाते से तहत विशिष्ट बहियों में जमा राशि। एनआईआरडीपीआर सामान्य खाते में वापस नहीं लाया जा सका। इसलिए, इसे ए4 जनरल ए/सी और प्रोजेक्ट ट्रांजिट ए/सी में आंतरिक प्राप्य के रूप में दिखाया गया था। मामले की समीक्षा की गई है और व्यय होने पर उसे संबंधित परियोजना खाते में दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 3,94,03,140 रुपये का यह व्यय अब परियोजना खाते से एनआईआरडीपीआर सामान्य खाते में वापस कर दिया गया है।
क.1.3.3. देनदारियां और प्रावधान - (एल 6) - 31.56 करोड़ रुपये **1.** 31.3.2017 को एस2237-अवर्गीकृत आरटीजीएस रसीद के तहत ₹3,67,45,636 की राशि प्रदर्शित की गई थी और 31.3.2022 को वही ₹4,75,63,131 थी, जो दर्शाता है कि संस्थान ने संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की राशि का मिलान नहीं किया था। संस्थान ने उत्तर दिया कि एनआईआरडीपीआर और एमओआरडी के विभिन्न केन्द्रों के साथ समन्वय में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्वीकृत आदेशों का पता लगाया जा सके और उसे संबंधित प्रायोजित परियोजना खातों में राशि जमा करने के लिए लेखा अनुभाग को जारी किया जा सके। यह वार्षिक खातों में पारदर्शिता की कमी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता को इंगित करता है क्योंकि 2017 में प्राप्त निधियां अभी भी समायोजन के लिए लंबित थीं। वार्षिक लेखा में भी इसका उपयुक्त रूप से खुलासा नहीं किया गया था। **2.** एनआईआरडी दिल्ली से संबंधित 31.3.2021 को अन्य प्रावधानों (वेतन और प्रशासन) के तहत ₹74,36,065 की राशि दिखाई गई थी और संस्थान ने वर्ष 2021-22 के दौरान प्रावधान के विरुद्ध ₹52,66,777 का व्यय किया था। हालांकि, संस्थान ने किए गए व्यय को समायोजित किए बिना प्रावधान के रूप में ₹74,36,065 की उसी राशि को आगे बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष को परिणामत: कम और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹52.67 लाख से अधिक बताते हुए व्यय का लेखा नहीं दर्शाया गया।	जहां भी धन के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण में उपकरणों में अपर्याप्त जानकारी के कारण उचित विवरण उपलब्ध नहीं है, ऐसी रसीदों को एस2237 अवर्गीकृत रसीदों में ले जाया जाता है। जैसे ही विवरण का पता लगाया जाता है, उसे संबंधित खाता शीर्ष को स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्राप्तियों की निगरानी और वर्गीकरण की एक नियमित प्रक्रिया के रूप में ऐसे फंडों की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि एनआईआरडीपीआर के बैंक खातों में क्रेडिट की कठोर निगरानी के कारण, 2022-23 के दौरान 59,44,18,182 रुपये संबंधित खातों में जमा किए गए थे। इसके अलावा, 31-03-2022 को अवर्गीकृत आरटीजीएस रसीदें 47563131/- रुपये थीं, और 31-03-2023 को 37700525/- रुपये थीं। इसलिए, 2022-23 के दौरान पहचानी गई और संबंधित खाता बही में जमा की गई राशि 98,62,606/- रुपये है। लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा-जोखा तैयार करते समय उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जारी...

क.2. आस्तियां – ₹1201.60 करोड़ **क.2.1. नियत आस्तियां - ₹77.97 करोड़ रुपये** **क.2.1.1** इसमें सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली के फॉर्म सीपीडब्ल्यूए 65 के अनुसार पूरे किए गए ₹1,16,52,686[1] के विद्युत कार्यों का मूल्य शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप नियत आस्तियों को कम और चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों को ₹1.17 करोड़ से अधिक बताया गया।	कपार्ट की जनकपुरी बिल्डिंग के प्रमुख नवीकरण के लिए पूर्ववर्ती कपार्ट द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को जमा राशि दी गई थी। 31-03-2023 को फॉर्म सीपीडब्ल्यूए 65 प्राप्त किया गया था। वार्षिक लेखा 2022-23 में जमा के उपयोग, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा शेष राशि की वापसी, संपत्ति के पूंजीकरण और मूल्यह्रास के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां पारित कर दी गई हैं।।
क.2.2 चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि - 648.32 करोड़ रुपये **क.2.2.1** यद्यपि वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹20,50,00,000 की सहायता अनुदान-वेतन के लिए स्वीकृति आदेश वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ था, यह राशि अप्रैल 2022 के महीने में एसबीआई खाते (संख्या 38831858496) में जमा की गई थी। प्राप्य के रूप में ₹20,50,00,000 की सहायता अनुदान के लिए लेखांकन के बजाय, संस्थान ने प्राप्ति और भुगतान खाते के तहत प्राप्तियों के रूप में गलत तरीके से हिसाब लगाया। इसके परिणामस्वरूप प्राप्तियों को अधिक बताया गया और प्राप्य अनुदानों को कम बताया गया।	लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है। सं. के-15018/01/2021-प्रशिक्षण दिनांक 30-03-2022 द्वारा वेतन मद में रू. 20.50 करोड़ के अनुदान का स्वीकृति आदेश जारी किया गया। इसे प्राप्त चेक के रूप में माना गया और बैंक समाधान विवरण में दर्शाया गया।
क.2.2.2 संस्थान ने ₹264,17,19,415 की राशि का खुलासा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्य के रूप में भारत सरकार से प्राप्य के रूप में बिना किसी आश्वासन या भारत सरकार के आदेश के किया था कि यह उनके द्वारा भुगतान योग्य है। चूंकि भारत सरकार वार्षिक आधार पर अनुदान प्रदान करती है, जिसमें भारत सरकार से विशिष्ट अनुमोदन के बिना प्राप्त होने वाली राशि का खुलासा करना पेंशन संबंधी लाभों के लिए सही नहीं है।	2014-15 से एसएआर में लगातार टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए, वित्त वर्ष 2017-18 से बीमांकिक मूल्यांकन बीमांकन के माध्यम से किया गया था। एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में 22-03-1986 को आयोजित 38वीं सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। एमओआरडी ने पत्र संख्या 0.12013/4/84 प्रशि. दिनांक 17-01-1985 के माध्यम से एनर्आआरडीपीआर की पेंशन योजना को मंजूरी दे दी, जिससे एनर्आआरडीपीआर की पेंशन देनदारी और उसके परिणामी बीमांकिक मूल्यांकन का निर्माण हुआ। चूंकि बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन/सेवानिवृत्ति दायित्व को पूरा करने के लिए एनआईआरडीपीआर के पास धनराशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे एमओआरडी से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा एनआईआरडीपीआर को एनआईआरडीपीआर के साथ विलय पर कपार्ट से सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के रूप में 12.62 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। इन फंडों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुसंगत लेखांकन उपचार के लिए एनआईआरडीपीआर में बीमांकिक मूल्यांकन प्रणाली भी शुरू की गई थी।
क.2.2.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संस्थान की निवेश नीति का प्रकट नहीं किया गया था। इसके अलावा, संस्थान ने पंजीकृत प्राथमिक डीलरों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया। वार्षिक लेखा में प्रतिभूतियों के लेखांकन के आधार का भी उपयुक्त रूप से खुलासा नहीं किया गया था। निवेश नीति का खुलासा न करने के कारण, वार्षिक लेखा में पारदर्शिता की कमी है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है: • 4,88,73,085 रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों पर उपार्जित ब्याज को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप निधि लेखा के साथ-साथ कॉर्पस फंड निवेश को 4,88,73,085 रुपये की सीमा तक कम बताया गया।	लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों पर वार्षिक रूप से दो अर्धवार्षिक ब्याज कूपन वर्षों से प्राप्ति के आधार पर माने जाते थे। संगतता बनाए रखने के लिए उसी व्यवहार का अनुपालन करते हुए, पूरे वर्ष के लिए इसकी वास्तविक प्राप्ति पर लेखा बहियों में परिलक्षित होता था।

जारी...

[1](i) नवीनीकरण और मरम्मत कार्य जनकपुरी, नई दिल्ली: ₹82,33,268; (ii) कपार्ट में अतिरिक्त नवीनीकरण कार्य: ₹18,15,332 और (iii) कपार्ट बिल्डिंग, जनकपुरी, नई दिल्ली में सम्मेलन कक्ष में संबंधित उपकरणों के साथ ऑडियो सिस्टम का एसआईटीसी

<table>
<tr>
<td>ख.1. आय - 138.33 करोड़ रुपये
ख.1.1 एनईआरसी, गुवाहाटी से संबंधित तीन समाप्त "परामर्श परियोजनाओं" के तहत उपलब्ध ₹26,88,528[2] की अधिशेष राशि को एनईआरसी के साथ पुनर्मिलान न करने के कारण आय के रूप में हिसाब में नहीं लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस फंड की परिणामी कमी और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹26,88,528 से अधिक करके आय का कम लेखा-जोखा हुआ।</td>
<td>लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है। वर्ष 2022-23 का लेखा तैयार करते समय उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>ख.1.2 एस2528-एएपी-प्रशिक्षण-क्षमता निर्माण - मनरेगा (अनुसूची 14-क) के तहत संस्थागत शुल्कों के लिए ₹12,10,45,549 की राशि वसूल की जानी है, जबकि ₹10,44,48,911 को केवल आय के रूप में हिसाब में लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस फंड की परिणामी कमी और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹ 1,65,96,638 से अधिक करके आय का कम लेखा-जोखा हुआ।</td>
<td>लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है। वर्ष 2022-23 का लेखा तैयार करते समय मनरेगा के बही-खातों का पुनरीक्षण कर उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>ख.1.3 ₹49,57,780 की राशि जो परियोजना "250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना" से संबंधित संस्थागत शुल्क थी, को संस्थान की आय के रूप में नहीं माना गया था। चूक के परिणामस्वरूप अधिशेष (कॉर्पस फंड) के परिणामी न्यूनोक्ति के साथ आय का कम लेखा-जोखा हुआ और वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधानों को ₹49,57,780 से अधिक बताया गया।</td>
<td>लेखापरीक्षा टिप्पणियों नोट किया गया है। वर्ष 2022-23 का लेखा-जोखा तैयार करते समय उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>ख.2.1 विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु अग्रिम के रूप में दी गई ₹ 16.25 लाख की राशि को अनुसूची 21-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (05.01 से 05.09) के अन्तर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक बताया गया और ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि को ₹ 16.25 लाख से कम दर्शाया गया।</td>
<td>वित्त वर्ष 2021-22 तक, भुगतान और अग्रिमों को व्यय के शीर्ष में दर्ज किया गया था और परिणामी समायोजन लेनदेन को भी व्यय के शीर्ष में दर्ज किया गया था। इसलिए, खाता शेष अवधि के लिए व्यय है। 16.25 लाख रुपये को व्यय के रूप में दर्ज किया गया है और परिणामी समायोजन लेनदेन को भी व्यय के शीर्ष में दर्ज किया गया है। वार्षिक लेखा 2021-22 में 16.25 लाख रुपये के अग्रिम के संबंध में कोई अग्रिम बकाया नहीं है और इसलिए, कोई कार्रवाई नहीं की जानी है।</td>
</tr>
<tr>
<td>ग. सामान्य
ग.1 उचंत खाते के तहत रखी गई राशि के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
<table>
<tr><th>अनुसूची का विवरण</th><th>समूह विवरण</th><th>उचंत खाते में रखी गई राशि</th></tr>
<tr><td>परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान (एल-3) क्र.सं. 112, ए/एसी का पृष्ठ 12</td><td>एस0117 एस-यूएनडीपी उचंत</td><td>(-) 9,17,637</td></tr>
<tr><td>परामर्शी देयताएं (एल-5) क्र.सं.04</td><td>सी0272 मानदेय उचंत</td><td>10,92,855</td></tr>
<tr><td rowspan="2">देनदारियां और प्रावधान (एल-6) क्र. सं. 13 और क्र. सं. 27</td><td>जीएसटी उचंत</td><td>1,47,51,556</td></tr>
<tr><td>दिल्ली शाखा उचंत</td><td>1,76,802</td></tr>
<tr><td>चालू आस्तियां और अग्रिम (ए-4) क्र. सं. 1</td><td>आरसी एनईआरसी - उचंत</td><td>65,33,016</td></tr>
</table>
</td>
<td>लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है। दर्शाए गए खातों का उचित लेखा रखने के लिए उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जा रही है</td>
</tr>
</table>

जारी...

[2](i) बीआरजीएफ-मेघालय-आरसी का मूल्यांकन अध्ययन (₹37,487/-), (ii) मछलीपालन और अंजीर किसान (मेघालय)-आरसी (₹25,77,107/-) और (iii) एसआईआरडी राजस्थान द्वारा प्रदर्शन दौरा (₹73,934/-)

ग.2. संस्थान ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रबंधन पत्र में शामिल निम्नलिखित टिप्पणियों पर कार्रवाई नहीं की (प्रबंधन पत्र में उल्लेखित लगातार अनियमितता - अनुलग्नक का भाग - क): (क) अनुसूची 3-चिन्हित निधि (viii) - परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान के तहत ₹0.21 करोड़ की राशि को डीडीयू-जीकेवाई परियोजना (क्रम संख्या 174 एल-6) के प्रारंभिक शेष और अंत शेष में गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चिन्हित निधि को अधिक बताया गया और चालू आस्तियों को ₹0.21 करोड़ तक कम दिखाया गया।	लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है। वर्ष 2022-23 का लेखा संकलित करते हुए समुचित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
(ख) 31 मार्च 2021 तक ₹41.46 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदानों का मिलान नहीं किया गया था।	जैसा कि एसएआर 2020-21 के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि 31.03.2020 को 2020-21 तक के अनुदानों की अव्ययित शेष राशि केवल 41.61 लाख रुपये है। यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्त कुल सहायता अनुदान का पूरी तरह से उपयोग किया गया है और यूसी दिनांक: 15-12-2022 के अनुसार 31-03-2021 को शेष "शून्य" है।
(ग) विविध लेनदारों (31.3.2016 के बाद से) के तहत तुलन पत्र के देनदारियों के पक्ष में दिखाए गए भविष्य निधि खाते के संबंध में ₹5,01,514 की अंत शेष (31.03.2021) राशि का विवरण मिलान के लिए आवश्यक है	भविष्य निधि वार्षिक लेखा 2022-23 में मद का निपटान कर दिया गया है।
(घ) 31.03.2020 को चिकित्सा कॉर्पस निधि में स्टाफ और पेंशनरों से प्राप्त सदस्यता को ₹33,46,200 के रूप में दिखाया गया था जबकि प्राप्त वास्तविक सदस्यता ₹44,74,000 थी। इसमें मिलान करने की आवश्यकता है (2019-20) ।	लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है। वर्ष 2022-23 का लेखा तैयार करते समय उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
(ङ) यद्यपि पिछली लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, संस्थान ने बैंक खाते में क्रेडिट किए गए अनुदानों को अलग नहीं किया था, इसके कारण अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज का बही खाते में इंगित राशि के साथ मिलान नहीं किया जा सका।	एसबीआई के साथ आयोजित एक अलग समर्पित बैंक खाता संख्या 38831858496 केवल सहायता अनुदान के लिए संचालित है और 2020-21 और 2021-22 के दौरान बैंक द्वारा जमा किए गए पूरे ब्याज को भारत कोष पोर्टल के माध्यम से भारत के समेकित कोष (सीएफआई) में प्रेषित कर दिया गया है। इस प्रकार सहायता अनुदान को एक पृथक बैंक खाते में अलग कर दिया गया है और उनका समाधान खाता बही से कर दिया गया है।
ग.3 कपार्ट सीपीएफ खाते से संबंधित इंडियन ओवरसीज बैंक खाता संख्या 149801000027111 के ₹5,43,558.68 के बैंक शेष को भविष्य निधि खाते में शामिल नहीं किया गया था। इसमें पुनरीक्षण और सुधार की आवश्यकता है।	लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है। उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की गई है और इसे 2022-23 के लेखों में शामिल किया जाएगा।
ग.4 चालू आस्तियों और अग्रिमों के तहत आरसी-एनईआरसी उचंत खाता होने के नाते ₹99,15,275 की राशि में क्षेत्रीय केंद्रों की प्राप्तियां और भुगतान शामिल हैं जिन्हें 2017-18 के बाद से अंकित नहीं किया जा सका क्योंकि लेन-देन की प्रकृति और प्रभाव वार्षिक लेखा की संबंधित अनुसूचियों के तहत पोस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं थे।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया है। वर्ष 2022-23 का लेखा तैयार करते समय उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जारी...

ग.5 (i) एस0221 आरयूडीसेटी के अंतर्गत आरसेटी के लिए ईआरपी का विकास और (ii) एस1916 यूबीए-एमएचआरडी-सीपीएमई पर मूल्यांकन परियोजनाओं के संबंध में संस्थागत शुल्क नहीं लगाया गया था। विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए संस्थागत प्रभारों के प्रभारण और लेखांकन के संबंध में संस्थान	लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है। उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की गई है और यह 2022-23 के लिए लेखा तैयार करते समय परिलक्षित किया जाएगा ।
घ. अनुदान सहायता: वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹105.48 करोड़ (₹23.98 करोड़-सामान्य और ₹81.50 करोड़-वेतन) के सहायता अनुदान में से, एनआईआरडीपीआर ने ₹100.12 करोड़ की राशि का उपयोग किया और 31 मार्च 2022 तक ₹5.36 करोड़ की शेष राशि का उपयोग नहीं किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
ङ. प्रबंधन पत्र: पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से महानिदेशक**,** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के ध्यान में लाया गया है।	प्रबंधन पत्र को नोट कर लिया गया है और उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है
v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा लेखा बहियों के अनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कथित वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियाँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के साथ पढ़ें, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करें: क. जहां तक यह 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; और ख. जहां तक कि यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए **अधिशेष** के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।	कोई टिप्पणी नहीं

परिशिष्ट

पैरा का सार	एनआईआरडीपीआर का उत्तर
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: संस्थान में कोई अलग आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। वर्ष 2021-22 के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म, मैसर्स श्रीनिवास राव एंड कंपनी द्वारा संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी	जुलाई, 2021 में एनआईआरडीपीआर में एजी कार्यालय से दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विंग बनाया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म, मैसर्स बी श्रीनिवास राव एंड कंपनी द्वारा संस्थान के लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: आंतरिक नियंत्रण निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त थे:	
i. संस्थान के पास कॉर्पस फंड के अलावा कोई अन्य निवेश नीति नहीं है। बचत खाते में बिना निवेश किए बड़ी राशि जमा कर दी गई, जिससे ब्याज की हानि हुई।	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान समग्र निधि के अलावा अन्य निधियों के निवेश के लिए ईसी द्वारा निवेश सलाहकार समिति (आईएसी) का गठन किया गया था। ईसी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आईएसी लंबी अवधि के निवेश के लिए समग्र निधि नीति का पालन करेगा। इस संबंध में संबंधितों से उचित स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरणों से यह पाया गया कि: बैंकर प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी प्रस्ताव दे रहे थे, जिसके कारण निवेश में देरी हुई और बाद में बेहतर निवेश संभावनाओं के लिए निवेश सलाहकार समिति के गठन की प्रतीक्षा की गई। हालाँकि, निवेश सलाहकार समिति के गठन के बाद, इसकी उप-समिति ने इन राशियों को प्रति वर्ष 7.4% प्रतिफल निवेश पर निवेश किया। प्राप्त निधियों के लिए ब्याज की हानि, यदि कोई हो, सांकेतिक है।
ii. उचंत खातों के तहत महत्वपूर्ण राशि दिखाई गई।	अनुदान आय/व्यय के अलावा कुछ बही खातों के लिए 'उचंत' शब्दावली का उपयोग किया जाता है। ये बहीखाता प्रचालन में हैं। इन खातों की समीक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।
iii. आरटीजीएस रसीद के तहत महत्वपूर्ण राशियां दिखाई गईं जो अवर्गीकृत थीं।	जहां भी निधियों के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण में उपकरणों में अपर्याप्त जानकारी के कारण उचित विवरण उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी प्राप्तियों को एस2237 अवर्गीकृत प्राप्तियों में ले जाया जाता है। जब भी विवरण का पता लगाया जाता है, उसे संबंधित लेखा प्रमुख को स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्राप्तियों की निगरानी और वर्गीकरण की नियमित प्रक्रिया के रूप में ऐसी निधियों की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। वर्ष (2021-22) के दौरान अवर्गीकृत राशियों को कम किया गया। 2022-23 के दौरान एक अभियान चलाया गया जिसके कारण 1,21,25,339 रुपये की अवर्गीकृत प्राप्तियों को ठीक से वर्गीकृत किया गया।
iv. परामर्शदात्री परियोजनाओं में से अधिकांश को बंद कर दिया गया और देयताओं के रूप में दर्शाया गया।	लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है। वर्ष 2022-23 का लेखा तैयार करते समय बहियों की समीक्षा कर उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
v. पूंजीगत अनुदान (योजना) विभिन्न बैंक खातों में रखा गया था। अलग बैंक खाता नहीं बनाया गया था। इस प्रकार, सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज का सत्यापन नहीं किया जा सका।	यूबीआई एसबी खाता संख्या 125510100109566 में पूंजीगत अनुदान (योजना) उपलब्ध था। खातों पर अर्जित ब्याज एनआईआरडीपीआर के बैंक विवरण और बहीखातों में उपलब्ध है।

जारी...

पैरा का सार	एनआईआरडीपीआर का उत्तर
vi. निष्क्रिय बैंक खातों को बंद नहीं किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान तेरह (13) बचत बैंक खातों में कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया। तेरह बैंक खातों में से दस बैंक खातों में शेष राशि ₹1,03,86,031 थी।	पुनरीक्षण प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। यूबीआई, राजेंद्र नगर में रखे गए 5 बैंक खातों को बंद कर दिया गया है। एसबीआई में रखे गए 5 बैंक खातों को बंद कर दिया गया है।
vii. समेकित अचल संपत्ति रजिस्टर, निक्षेप निधियों का रजिस्टर नहीं बनाया गया था।	लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है। हालांकि, यह अनुरोध किया जाता है कि अचल संपत्ति रजिस्टर इंजीनियरिंग के रखरखाव अनुभाग द्वारा बनाए जाते हैं, डीएसआर खरीद अनुभाग द्वारा बनाए जाते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि, कोई पृथक निक्षेप निधि खाता को गठित नहीं किया गया है। मूल्यह्रास आरक्षित राशि को आरक्षित और अधिशेष के तहत शामिल किया गया है।
viii. एनआईआरडीपीआर के 640 (31.3.2022 को) स्वीकृत कर्मचारियों में से 285 पुरुष कार्यरत हैं और यह पता चला कि लेखा अनुभाग में 3 लेखा अधिकारी थे और 10 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर नियुक्त थे जिनके पास एक वर्ष से कम का अनुभव था। इसके अलावा, हालांकि टैली में मुख्य खातों का रखरखाव किया गया था, संस्थान कई स्प्रेडशीट में डेटा को बनाए रख रहा है, जिन्हें ठीक से एकीकृत नहीं किया जा रहा है क्योंकि संस्थान द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की गई थीं जिन्हें अलग-अलग अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से संभाला गया था और उन लेनदेन को टैली पैकेज के माध्यम से नहीं किया गया था। अपर्याप्त स्टाफ, अपर्याप्त लेखांकन अभ्यास और खातों के गैर-एकीकरण से खातों के रखरखाव में मैन्युअल त्रुटियां होती हैं।	कुछ पदों के लिए संशोधित भर्ती नियम अधिसूचित किए गए हैं। कुछ अन्य पदों के लिए भर्ती नियम ईसी के अनुमोदन के अधीन हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। कामकाज और नियंत्रण में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। परियोजना लेनदेन सहित एनआईआरडीपीआर के सभी लेनदेन टैली पैकेज में दर्ज किए जाते हैं। संचालन और कार्यात्मकताओं में आसानी और स्पष्ट समझ के लिए स्प्रेडशीट्स में केवल सहायक गणनाएं की जाती हैं। टैली अकाउंटिंग पैकेज में आवश्यक प्रविष्टियाँ और जर्नल पास करने के बाद, वार्षिक खातों को ट्रायल बैलेंस से निर्धारित प्रारूपों में एक्सेल स्प्रेडशीट में संकलित किया जाता है। टैली अकाउंटिंग पैकेज से बहीखाता और रिपोर्ट तैयार की जाती है और लेखापरीक्षा टीम को प्रस्तुत की जाती है। खातों को एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
3. **अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** मार्च 2022 के अंत तक आरटीपी, एवी लैब्स, छात्रावास और पुस्तकालय भवन के संबंध में अचल संपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी। अन्य स्कूलों एवं अनुभागों का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, वार्षिक लेखाओं में उल्लेखित परिसम्पत्तियों की अनुसूची में इंगित मदों के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन पर समेकित रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।	एनआईआरडीपीआर के लिए फर्नीचर और जुड़नार के संबंध में अचल संपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) ऑडिट पार्टी को प्रस्तुत की गई थी जिसमें स्कूल और अनुभाग शामिल हैं। संबंधित केंद्र और अनुभाग प्रमुखों द्वारा संपत्ति के भौतिक सत्यापन को सत्यापित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का भी अनुरोध किया गया है।
4. **सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** वर्ष 2021-22 की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
5. **सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता:** संस्थान सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमित है।	कोई टिप्पणी नहीं

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030